कार्यालय संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा, उदयपुर संभाग उदयपुर

कार्यालय आदेश

निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर के पत्रांक : शिविरा–मा/संस्था/एफ–1/12102/सी.भ./व.अ.–विज्ञान/2018/ दिनांक 30.10.2018 के द्वारा राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर से द्वितीय वेतन श्रंखला अध्यापक भर्ती परीक्षा–2016 से चयनित आशार्थियों(विज्ञान) को नियुक्ति हेतु पदस्थापन के लिये सुपुर्द करनें के फलस्वरूपं संलग्न सूची में अंकित अभ्यर्थियों को, **वरिष्ठ अध्यापक–विज्ञान** के पद पर राजस्थान सिविल सेवा (पुनरीक्षित वेतनमान) नियम 2017 के वेतन लेवल–11 में दो वर्ष की अवधि हेतु प्रशिक्षणार्थी (प्रोबेशनर ट्रेनी) के रूप में नियत मानदेय 26500/–(छब्बीस हजार पांच सौ रूपये) पर नियुक्ति दी जाकर इनके नाम के सम्मुख अंकित विद्यालय में रिक्त पद पर पदस्थापित किया जाता है। इन्हें परिवीक्षाधीन प्रशिक्षण अवधि में कार्यग्रहण करनें की दिनांक से दो वर्ष की अवधि तक राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांकः एफ.12(9)एफडी(रूल्स)/2017 दिनांक 30.10.2017 के प्रावधानानुसार नियत मानदेय 26500/–(छब्बीस हजार पांच सौ रूपये) अथवा पूर्व से सेवारत होनें की स्थिति में विद्यमान वेतन नियत मानदेय के रूप में देय होगा। परिवीक्षाधीन प्रशिक्षण(प्रोबेशनर ट्रेनी) की अवधि में नियत मानदेय (**FIX REMUNERATION**) के अतिरिक्त अन्य किसी प्रकार के भत्ते यथा महंगाई भत्ता, मकान किराया भत्ता, भाहरी क्षतिपूर्ति भत्ता, महंगाई वेतन, विशेष वेतन, बोनस आदि देय नहीं होगा। राज्य सरकार के आदेश क्रमांक : एफ.12(9)एफडी(रूल्स)/2017 दिनांक 30.10.2017 के अनुसार परिवीक्षाधीन प्रशिक्षण(प्रोबेशनर ट्रेनी) के नियत मानदेय (**FIX REMUNERATION**) से नवीन पेंशन अंशदान की कटौति नियमानुसार होगी।

संबंधित संस्था प्रधान इनको कार्यग्रहण करवानें से पूर्व निम्नांकित कार्यवाही आवश्यक रूप से सम्पादित करेंगें:

1. नियुक्ति पर कार्यग्रहण करवानें से पूर्व नियमानुसार संबंधित अभ्यर्थी का संबंधित जिला पुलिस अधीक्षक द्वारा प्रदत्त चरित्र संबंधी सदाचरण रिपोर्ट एवं सक्षम चिकित्साधिकारी द्वारा प्रदत्त स्वस्थता प्रमाणपत्र प्राप्त किया जाना अनिवार्य होगा, इनके अभाव में किसी भी अभ्यर्थी को नियुक्ति पर कार्यग्रहण नहीं करवाया जावेगा। पूर्व से राजकीय सेवा में सेवारत कार्मिकों हेतु यह आवश्यक नहीं होगा।
2. कार्यग्रहण करवानें से पूर्व राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक : एफ.7(1)डीओपी/ए–II/95 दिनांक 08.04.2003 के अनुसार संबंधित अभ्यर्थी से दिनांक 01.06.2002 को अथवा उसके पश्चात उत्पन्न सन्तानों के फलस्वरूप कुल सन्तानों की संख्या दो से अधिक नहीं होनें संबंधी स्वयं सत्यापित प्रमाणपत्र आवश्यक रूप से प्राप्त किया जावे। साथ ही पदस्थापन आदेश में अभ्यर्थी के नाम के सामनें आवेदनपत्र में लगाये गये फोटो भी दिया गया है जिसका अभ्यर्थी के कार्यग्रहण करनें के समय फोटो से मिलान अनिवार्य रूप से किया जावे।
3. विवाहित अभ्यर्थियों के मामले में विवाह पंजीयन प्रमाण पत्र अथवा यदि विवाह, पंजीयन अनिवार्य करनें सबंधी प्रावधान लागू होनें से पूर्व हुआ है तो तत्संबंधी आशय का स्वयं सत्यापित प्रमाणपत्र आवश्यक रूप से प्राप्त किया जावे।
4. अभ्यर्थी द्वारा दहेज नहीं लिये जानें का स्व–घोषणापत्र निर्धारित प्रारूप में प्राप्त किया जावे।
5. राज्य से बाहर की संस्थाओं से प्राप्त शैक्षिक/प्रशैक्षिक योग्यताओं की वैधता संबंधी जांच की विभाग स्तर पर कार्यवाही की जानी शेष है, अतः जिन अभ्यर्थियों द्वारा राज्य से बाहर की संस्थाओं से शैक्षिक / प्रशैक्षिक योग्यता अर्जित की गई है, उन्हें यह नियुक्ति राज्य से बाहर की संस्थाओं से प्राप्त की गई शैक्षिक/प्रशैक्षिक योग्यता वैध व मान्य पाये जानें के अध्यधीन प्रदान की जा रही है। अतः नियुक्ति पर कार्यग्रहण करवानें से पूर्व संबंधित अभ्यर्थी से 10/– के नॉन–ज्यूडिशियल स्टाम्प पर इस आशय का शपथपत्र पूर्व में प्राप्त करेंगें कि यदि इनके द्वारा राज्य से बाहर,त्रुटीपूर्ण,जालि अथवा कुट रचित दस्तावेज पाये जाने पर उनकी नियुक्ति निरस्त की जा सकेगी एवं इनके विरूद्ध कार्यवाही करनें हेतु विभाग स्वतंत्र रहेगा । आवेदन पत्र के साथ संलग्न दस्तावेजों का मिलान मूल दस्तावेजों से कार्यग्रहण करानें से पूर्व संबंधित संस्था प्रधान अपने स्तर पर आवश्यक रूप से करेंगें। मिलान में यदि कोई भिन्नता पाई जावे तो उसके संबंध में पूर्ण टिप्पणी सहित प्रकरण तुरन्त इस कार्यालय को भिजवायेंगें।
6. अन्य पिछडा वर्ग का सक्षम अधिकारी द्वारा प्रदत्त नवीनतम मान्य प्रमाणपत्र पिता की आय के आधार पर जारी किया हुआ होना चाहिये। महिला आवेदकों के मामले में यदि पति के नाम एवं पति की आय के आधार पर जारी किया हुआ हो तो ही मान्य होगा। संबंधित संस्था प्रधान कार्यग्रहण करानें से पूर्व इसकी पालना सुनिश्चित करें।

7. चयनित अभ्यर्थियों के कार्यग्रहण करानें से पूर्व उनकी पात्रता, आयु, एवं आरक्षण संबंधी समस्त दस्तावेजों की आवश्यक रूप से जांच करें तथा अभ्यर्थियों से यह शपथपत्र लेवें कि उसके द्वारा प्रस्तुत सूचनाऐं एवं दस्तावेज सही है, इनके त्रुटिपूर्ण, जाली अथवा कूटरचित पाये जानें पर उनकी नियुक्ति निरस्त की जा सकेगी एवं उनके विरूद्ध नियमानुसार विधिक कार्यवाही करनें हेतु विभाग स्वतंत्र रहेगा।
8. कार्यग्रहण करवानें से पूर्व संबंधित अभ्यर्थी से कार्मिक विभाग की अधिसूचना क्रमांक : प. 7(3)कार्मिक/क–2/06/पार्ट दिनांक 04.10.2013 के अनुसार धूम्रपान एवं गुटखा सेवन नहीं करनें संबंधी वचनबद्धता (अण्डरटेकिंग) निर्धारित प्रपत्र में प्राप्त किया जावे।
9. यह नियुक्ति आदेश, प्रसारित विज्ञप्ति वरिष्ठ अध्यापक (विभिन्न विषय) प्रतियोगी परीक्षा–2016 के प्रकरण में माननीय न्यायालय में दायर विभिन्न याचिकाओं के निर्णयों के अध्यधीन रहेंगी।
10. इन अभ्यर्थियों को अपनें पदस्थापित स्थान पर दिनांक **10.11.2018** तक अनिवार्य रूप से कार्यग्रहण करना होगा, अन्यथा यह नियुक्ति आदेश स्वतः निरस्त माने जायेंगें।
11. टीएसपी परिक्षेत्र के अभ्यार्थियो से विशेष मुल निवास प्रमाणपत्र राज्य सरकार द्वारा नवीनतम निर्धारित प्रपत्र में अधिकृत सक्षम अधिकारी द्वारा जारी किया होना चाहिये इसके अभाव मे कार्यग्रहण नही करवाया जाये
12. चयनित अभ्यर्थियो की नियुक्ति आदेश प्रसारित विज्ञप्ति वरिष्ठ अध्यापक (विभिन्न विषय)प्रतियोगी परीक्षा 2016 के प्रकरण में माननीय न्यायालय में दायर विभिन्न याचिकाओ के निर्णयो के अध्यधीन रहेगे ।
13. नोन टीएसपी से टीएसपी क्षेत्र के विद्यालय में पदस्थापन होने की स्थिति में कार्मिक को कार्यग्रहण नही करवाते हुए संस्था प्रधान इस कार्यालय हेतु भिजावे ।
14. संबधित संस्था प्रधान कार्मिक की आईडी एवं फोटो का मिलान करने के पश्चात् ही कार्यग्रहण करावे ।

विधानसभा आम चुनाव आदर्श आचार संहिता मे शिथिलन की स्वीकृति निर्वाचन विभाग राजस्थान के पंत्राक एफ–3(1)(9) I/Elect/2018/6995 दिनांक 08.10.2018 के गठित स्क्रीनिंग समिति से अनुमति प्रदान किये जाने एंव सामान्य प्रशासन विभाग की आई0डी0 संख्या 3697/पीएस/जीएडी/18 दिनांक 23.10.2018 द्वारा सहमति प्रदान कर दी गई है।

(भरत मेहता)
संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा
उदयपुर संभाग उदयपुर

क्रमांक : सनि/स्कूल शिक्षा/उदय/संस्था–ब/फा–1051–53/2018/128 दिनांक : **31.10.2018**

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेशित है:

1. प्रमुख शासन सचिव, स्कूल एवं संस्कृत शिक्षा, राजस्थान, जयपुर
2. शासन उपसचिव, शिक्षा (ग्रुप–2) विभाग, राजस्थान, जयपुर
3. शासन उपसचिव, कार्मिक (क–2) विभाग, राजस्थान, जयपुर
4. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर
5. विशिष्ट सहायक, माननीय शिक्षा मंत्री महोदय, राजस्थान, जयपुर
6. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा/प्रारम्भिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर
7. मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी .....
8. संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी मुख्यालय माध्यमिक/प्रारम्भिक शिक्षा .....
9. मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी .....
10. वरिष्ठता अनुभाग – कार्यालय हाजा
11. संबंधित संस्था प्रधान.....
12. संबंधित अभ्यर्थी.....(रजिस्टर्ड डाक से)
13. निजी/गार्ड पत्रावली

संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा
उदयपुर संभाग उदयपुर

कार्यालय संयुक्त निदेशक (स्कूल शिक्षा) उदयपुर सम्भाग,उदयपुर

क्रमांक–संयु.नि. / स्कूल शिक्षा / उदय / संस्थापन / फा–1051–53 / 2018 / **128** दिनांक **31.10.2018**

विषय– विज्ञान

क्र. स.	मेरिट न0	आशार्थी का नाम	पिता / पति का नाम	पता	जन्म तिथि	वर्ग	चयन वर्ग		पदस्थापन स्थान (राउमावि / मावि / राउप्रावि)	जिला
टीएसपी										
1	224	GOPAL LAL MEENA	BHAGAT RAM MEENA	VILLAGEREVDA,POSTSWAROOPGANJ,CHHOTISADRI, SWAROOPGANJ, CHOTISADRI, REVDA, PRATAPGARH	06/05/1985	TSP-ST	TSTM		सुबी (छोटी सादडी)	प्रतापगढ
नान–टीएसपी										
2	94	BHAJAN LAL	RAM CHAND	VILLAGE - GADI CHHANI, TAHSIL - BHADRA, DIST. - HANUMANGARH	10/10/87	BC	OBC M		सेमा (खमनोर)	राजसमन्द
3	95	SUMIRA CHAUDHARY	JEEVAN SINGH	NEAR LOHAGARH PUBLIC SCHOOL, SHASTRI NAGAR, BHARATPUR	25/06/1989	BC,WE	OBCF		सेमल (खमनोर)	राजसमन्द
4	171	MUKH RAM	BHAGIRATH	VILLAGE&POST- JANDWA, TEHSIL-RATANGARH, DISTRICT-CHURU, RAJASTHAN-331022	15/012/1979	BC,EX, RG	OBC M	EX	डांसरिया (भीम)	राजसमन्द
5	279	SHAIRA RAM	PEMA RAM	B62ARVINDNAGAR, RATANADA, JODHPUR, JODHPUR, JODHPUR	22/01/1971	BC,EX	OBC M	EX	साजनपुर (निम्बाहेडा)	चितौडगढ
6	301	RAJENDRA SINGH CHAUDHARY	MOHAN SINGH CHAUDHARY	RAJENDRASINGHCHAUDHARYS/ OSH.MOHANSINGHCHAUDHARY, ROUNDHIYAMOHALLA(OPPOSITE FORTGATE)DEEG, BHARATPUR	02/05/1972	GE,EX	GEN M	EX	भाणपा (डूंगला)	चितौडगढ

(भरत मेहता)
संयुक्त निदेशक(स्कूल शिक्षा)
उदयपुर सम्भाग उदयपुर

कार्यालय संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा, उदयपुर संभाग उदयपुर

कार्यालय आदेश

निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर के पत्रांक : शिविरा–मा/संस्था/एफ–1/12102/सी.भ./व.अ.–अंग्रेजी/2018/ दिनांक 30.10.2018 के द्वारा राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर से द्वितीय वेतन श्रंखला अध्यापक भर्ती परीक्षा–2016 से चयनित आशार्थियों (अंग्रेजी) को नियुक्ति हेतु पदस्थापन के लिये सुपुर्द करनें के फलस्वरूपं संलग्न सूची में अंकित अभ्यर्थियों को, **वरिष्ठ अध्यापक– अंग्रेजी** के पद पर राजस्थान सिविल सेवा (पुनरीक्षित वेतनमान) नियम 2017 के वेतन लेवल–11 में दो वर्ष की अवधि हेतु प्रशिक्षणार्थी (प्रोबेशनर ट्रेनी) के रूप में नियत मानदेय 26500/–(छब्बीस हजार पांच सौ रूपये) पर नियुक्ति दी जाकर इनके नाम के सम्मुख अंकित विद्यालय में रिक्त पद पर पदस्थापित किया जाता है। इन्हें परिवीक्षाधीन प्रशिक्षण अवधि में कार्यग्रहण करनें की दिनांक से दो वर्ष की अवधि तक राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांकः एफ. 12(9)एफडी(रूल्स)/2017 दिनांक 30.10.2017 के प्रावधानानुसार नियत मानदेय 26500/–(छब्बीस हजार पांच सौ रूपये) अथवा पूर्व से सेवारत होनें की स्थिति में विद्यमान वेतन नियत मानदेय के रूप में देय होगा। परिवीक्षाधीन प्रशिक्षण(प्रोबेशनर ट्रेनी) की अवधि में नियत मानदेय (**FIX REMUNERATION**) के अतिरिक्त अन्य किसी प्रकार के भत्ते यथा महंगाई भत्ता, मकान किराया भत्ता, भाहरी क्षतिपूर्ति भत्ता, महंगाई वेतन, विशेष वेतन, बोनस आदि देय नहीं होगा। राज्य सरकार के आदेश क्रमांक : एफ.12(9)एफडी(रूल्स)/2017 दिनांक 30.10.2017 के अनुसार परिवीक्षाधीन प्रशिक्षण(प्रोबेशनर ट्रेनी) के नियत मानदेय (**FIX REMUNERATION**) से नवीन पेंशन अंशदान की कटौति नियमानुसार होगी।

संबंधित संस्था प्रधान इनको कार्यग्रहण करवानें से पूर्व निम्नांकित कार्यवाही आवश्यक रूप से सम्पादित करेंगें:

1. नियुक्ति पर कार्यग्रहण करवानें से पूर्व नियमानुसार संबंधित अभ्यर्थी का संबंधित जिला पुलिस अधीक्षक द्वारा प्रदत्त चरित्र संबंधी सदाचरण रिपोर्ट एवं सक्षम चिकित्साधिकारी द्वारा प्रदत्त स्वस्थता प्रमाणपत्र प्राप्त किया जाना अनिवार्य होगा, इनके अभाव में किसी भी अभ्यर्थी को नियुक्ति पर कार्यग्रहण नहीं करवाया जावेगा.। पूर्व से राजकीय सेवा में सेवारत कार्मिकों हेतु यह आवश्यक नहीं होगा।
2. कार्यग्रहण करवानें से पूर्व राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक : एफ.7(1)डीओपी/ए–II/95 दिनांक 08.04.2003 के अनुसार संबंधित अभ्यर्थी से दिनांक 01.06.2002 को अथवा उसके पश्चात उत्पन्न सन्तानों के फलस्वरूप कुल सन्तानों की संख्या दो से अधिक नहीं होनें संबंधी स्वयं सत्यापित प्रमाणपत्र आवश्यक रूप से प्राप्त किया जावे। साथ ही पदस्थापन आदेश में अभ्यर्थी के नाम के सामनें आवेदनपत्र में लगाये गये फोटो भी दिया गया है जिसका अभ्यर्थी के कार्यग्रहण करनें के समय फोटो से मिलान अनिवार्य रूप से किया जावे।
3. विवाहित अभ्यर्थियों के मामले में विवाह पंजीयन प्रमाण पत्र अथवा यदि विवाह, पंजीयन अनिवार्य करनें सबंधी प्रावधान लागू होनें से पूर्व हुआ है तो तत्संबंधी आशय का स्वयं सत्यापित प्रमाणपत्र आवश्यक रूप से प्राप्त किया जावे।
4. अभ्यर्थी द्वारा दहेज नहीं लिये जानें का स्व–घोषणापत्र निर्धारित प्रारूप में प्राप्त किया जावे।
5. राज्य से बाहर की संस्थाओं से प्राप्त शैक्षिक/प्रशैक्षिक योग्यताओं की वैधता संबंधी जांच की विभाग स्तर पर कार्यवाही की जानी शेष है, अतः जिन अभ्यर्थियों द्वारा राज्य से बाहर की संस्थाओं से शैक्षिक / प्रशैक्षिक योग्यता अर्जित की गई है, उन्हें यह नियुक्ति राज्य से बाहर की संस्थाओं से प्राप्त की गई शैक्षिक/प्रशैक्षिक योग्यता वैध व मान्य पाये जानें के अध्यधीन प्रदान की जा रही है। अतः नियुक्ति पर कार्यग्रहण करवानें से पूर्व संबंधित अभ्यर्थी से 10/– के नॉन–ज्यूडिशियल स्टाम्प पर इस आशय का शपथपत्र पूर्व में प्राप्त करेंगें कि यदि इनके द्वारा राज्य से बाहर,त्रुटीपूर्ण,जालि अथवा कुट रचित दस्तावेज पाये जाने पर उनकी नियुक्ति निरस्त की जा सकेगी एवं इनके विरूद्ध कार्यवाही करनें हेतु विभाग स्वतंत्र रहेगा । आवेदन पत्र के साथ संलग्न दस्तावेजों का मिलान मूल दस्तावेजों से कार्यग्रहण करानें से पूर्व संबंधित संस्था प्रधान अपने स्तर पर आवश्यक रूप से करेंगें। मिलान में यदि कोई भिन्नता पाई जावे तो उसके संबंध में पूर्ण टिप्पणी सहित प्रकरण तुरन्त इस कार्यालय को भिजवायेंगें।
6. अन्य पिछडा वर्ग का सक्षम अधिकारी द्वारा प्रदत्त नवीनतम मान्य प्रमाणपत्र पिता की आय के आधार पर जारी किया हुआ होना चाहिये। महिला आवेदकों के मामले में यदि पति के नाम एवं पति की आय के

आधार पर जारी किया हुआ हो तो ही मान्य होगा। संबंधित संस्था प्रधान कार्यग्रहण करानें से पूर्व इसकी पालना सुनिश्चित करें। -

7. चयनित अभ्यर्थियों के कार्यग्रहण करानें से पूर्व उनकी पात्रता, आयु, एवं आरक्षण संबंधी समस्त दस्तावेजों की आवश्यक रूप से जांच करें तथा अभ्यर्थियों से यह शपथपत्र लेवें कि उसके द्वारा प्रस्तुत सूचनाऐं एवं दस्तावेज सही है, इनके त्रुटिपूर्ण, जाली अथवा कूटरचित पाये जानें पर उनकी नियुक्ति निरस्त की जा सकेगी एवं उनके विरूद्ध नियमानुसार विधिक कार्यवाही करनें हेतु विभाग स्वतंत्र रहेगा।
8. कार्यग्रहण करवानें से पूर्व संबंधित अभ्यर्थी से कार्मिक विभाग की अधिसूचना क्रमांक : प. 7(3)कार्मिक/क–2/06/पार्ट दिनांक 04.10.2013 के अनुसार धूम्रपान एवं गुटखा सेवन नहीं करनें संबंधी वचनबद्धता (अण्डरटेकिंग) निर्धारित प्रपत्र में प्राप्त किया जावे।
9. यह नियुक्ति आदेश, प्रसारित विज्ञप्ति वरिष्ठ अध्यापक (विभिन्न विषय) प्रतियोगी परीक्षा–2016 के प्रकरण में माननीय न्यायालय में दायर विभिन्न याचिकाओं के निर्णयों के अध्यधीन रहेंगी।
10. इन अभ्यर्थियों को अपनें पदस्थापित स्थान पर दिनांक **10.11.2018** तक अनिवार्य रूप से कार्यग्रहण करना होगा, अन्यथा यह नियुक्ति आदेश स्वतः निरस्त माने जायेंगें।
11. टीएसपी परिक्षेत्र के अभ्यार्थियो से विशेष मुल निवास प्रमाणपत्र राज्य सरकार द्वारा नवीनतम निर्धारित प्रपत्र में अधिकृत सक्षम अधिकारी द्वारा जारी किया होना चाहिये इसके अभाव मे कार्यग्रहण नही करवाया जाये
12. चयनित अभ्यर्थियो की नियुक्ति आदेश प्रसारित विज्ञप्ति वरिष्ठ अध्यापक (विभिन्न विषय)प्रतियोगी परीक्षा 2016 के प्रकरण में माननीय न्यायालय में दायर विभिन्न याचिकाओ के निर्णयो के अध्यधीन रहेगे ।
13. नोन टीएसपी से टीएसपी क्षेत्र के विद्यालय में पदस्थापन होने की स्थिति में कार्मिक को कार्यग्रहण नही करवाते हुए संस्था प्रधान इस कार्यालय हेतु भिजावे ।
14. संबधित संस्था प्रधान कार्मिक की आईडी एवं फोटो का मिलान करने के पश्चात् ही कार्यग्रहण करावे ।

विधानसभा आम चुनाव आदर्श आचार संहिता मे शिथिलन की स्वीकृति निर्वाचन विभाग राजस्थान के पंत्राक एफ–3(1)(9) I/Elect/2018/6995 दिनांक 08.10.2018 के गठित स्क्रीनिंग समिति से अनुमति प्रदान किये जाने एंव सामान्य प्रशासन विभाग की आई0डी0 संख्या 3697/पीएस/जीएडी/18 दिनांक 23.10.2018 द्वारा सहमति प्रदान कर दी गई है।

(भरत मेहता)
संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा
उदयपुर संभाग उदयपुर

क्रमांक : सनि/स्कूल शिक्षा/उदय/संस्था–ब/फा–1051–53/2018/129 दिनांक : **31.10.2018**

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेशित है:

1. प्रमुख शासन सचिव, स्कूल एवं संस्कृत शिक्षा, राजस्थान, जयपुर
2. शासन उपसचिव, शिक्षा (ग्रुप–2) विभाग, राजस्थान, जयपुर
3. शासन उपसचिव, कार्मिक (क–2) विभाग, राजस्थान, जयपुर
4. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर
5. विशिष्ट सहायक, माननीय शिक्षा मंत्री महोदय, राजस्थान, जयपुर
6. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा/प्रारम्भिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर
7. मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी .....
8. संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी मुख्यालय माध्यमिक/प्रारम्भिक शिक्षा .....
9. मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी .....
10. वरिष्ठता अनुभाग – कार्यालय हाजा
11. संबंधित संस्था प्रधान.....
12. संबंधित अभ्यर्थी.....(रजिस्टर्ड डाक से)
13. निजी/गार्ड पत्रावली

संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा
उदयपुर संभाग उदयपुर

कार्यालय संयुक्त निदेशक (स्कूल शिक्षा) उदयपुर सम्भाग,उदयपुर

क्रमांक–संयु.नि. / स्कूल शिक्षा / उदय / संस्थापन / फा–1051–53 / 2018 / 129 दिनांक **31.10.2018**

विषय– अंग्रेजी

क्र. स.	मेरिट न0	आशार्थी का नाम	पिता / पति का नाम	पता	जन्म तिथि	वर्ग	चयन वर्ग		पदस्थापन स्थान (राउमावि / मावि / राउप्रावि)	जिला
टीएसपी										
1	**385**	BINESH B NAYAR	BALCHANDRA NAYAR	BINESHNAIR,SHIVBHAVAN,BEHINDPUSHPAHOSPITAL,RATITALAI, 327001, BANSWARA	16/02/1984	GE, DC	TGEM		बोर खाबर (बांसवाडा)	बांसवाडा
2	**932**	MEENAKSHI DAAMOR	SURESH DAAMOR	659C/ORATANLALMEENA EKLAVYANAGARDUDIYAGANESH JIMULLATALALIUDAIPUR, , GIRWA, UDAIPUR, UDAIPUR	08/07/1987	TSP-ST, WE, WD, RG	TGEF	WD	सलुम्बर (सलुम्बर)	उदयपुर
नान–टीएसपी										
3	**240**	ANJU RANI	OMPAL SINGH	VPO-PILODTEH-SURAJGARH, , SURAJGARH, PILOD, JHUNJHUNU	06/01/1986	GE, WE	GENF		नपावली (भदेसर)	चित्तौड
4	**530**	MANJU KUNHARE	NANAG RAM	19MARUTICOLONYSHEOPURROAD, PRATAP NAGAR, SANGANER, JAIPUR	22/12/1995	SC, WE	SCF		गिलुण्ड (रेलमगरा)	राजसमंद
5	**695**	MAMTA MITTAL	KANHAIYA LAL GUPTA	5/58 RATITALAIBANSWARA, BANSWARA	10/04/1976	GE, WE, WD, ME	GENF	WD	रेवलियाखुर्द (भदेसर)	चित्तौड
6	**699**	DALEEP SINGH RAJVI	PARAVAT SINGH	BASSBHARTHARIVILLPHOGAN, , SARADARSHAHAR, PHOGAN, CHURU	07/01/1982	GE, EX	GENM	EX	सरथला (बडी सादडी)	चित्तौड
7	**792**	BHAGIRATH MAL DHAKA	KANHAIYA LAL DHAKA	NEARTHEPOWERHOUSE,WARDNO-2,VPO-LOSAL,DIST.-SIKAR(RAJASTHAN), LOSAL, DANTA RAMGARH, LOSAL, SIKAR	02/05/1975	BC, EX, NG	OBCM	EX	सिंहाड (भीण्डर)	उदयपुर
8	**823**	RAM NIWAS MEENA	BHAGAWANA RAM MEENA	RAMNIWASMEENAV/PSEWADCHHOTI, SEWAD BARI, DHOD, SEWAD CHHOTI, SIKAR	02/08/1978	ST, EX	STM	EX	सोगदी की भागल (खमनोर)	राजसमंद
9	**866**	MANOJ KUMAR	GIRRAJ PRASAD AGRAWAL	NAGLALODHAROAD,SANJAYNAGAR,BHARATPUR, , , , BHARATPUR	21/05/1979	GE, EX	GENM	EX	सांगरीया (डूंगला)	चित्तौड
10	**871**	SATYA PAL SINGH	MARA RAM	FLATNO.-505,BLOCK-7,KENDRIYAVIHAR-II,NEARJEVANREKHA HOSPITAL, VIDHANI, SANGANER, SRIKISHANPURA VILLAGE, JAIPUR	08/07/1974	BC, EX	OBCM	EX	आकोला (भीण्डर)	उदयपुर
11	**927**	MOHANLATA	NARAYAN LAL	PLOT-9BEHIND AMBARTENT HOUSE,NAWALGARHROADSIKAR, , SIKAR, SIKAR, SIKAR	01/04/1982	BC, WE, WD, RG	OBCF	WD	भाटोली (बडी सादडी)	चित्तौड

(भरत मेहता)
संयुक्त निदेशक(स्कूल शिक्षा)
उदयपुर सम्भाग उदयपुर

कार्यालय संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा, उदयपुर संभाग उदयपुर

कार्यालय आदेश

निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर के पत्रांक : शिविरा–मा/संस्था/एफ–1/12102/सी.भ./व.अ.– गणित/2018/ दिनांक 30.10.2018 के द्वारा राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर से द्वितीय वेतन श्रंखला अध्यापक भर्ती परीक्षा–2016 से चयनित आशार्थियों (गणित) को नियुक्ति हेतु पदस्थापन के लिये सुपुर्द करनें के फलस्वरूपं संलग्न सूची में अंकित अभ्यर्थियों को, **वरिष्ठ अध्यापक–गणित** के पद पर राजस्थान सिविल सेवा (पुनरीक्षित वेतनमान) नियम 2017 के वेतन लेवल–11 में दो वर्ष की अवधि हेतु प्रशिक्षणार्थी (प्रोबेशनर ट्रेनी) के रूप में नियत मानदेय 26500/–(छब्बीस हजार पांच सौ रूपये) पर नियुक्ति दी जाकर इनके नाम के सम्मुख अंकित विद्यालय में रिक्त पद पर पदस्थापित किया जाता है। इन्हें परिवीक्षाधीन प्रशिक्षण अवधि में कार्यग्रहण करनें की दिनांक से दो वर्ष की अवधि तक राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांकः एफ.12(9)एफडी(रूल्स)/2017 दिनांक 30.10.2017 के प्रावधानानुसार नियत मानदेय 26500/–(छब्बीस हजार पांच सौ रूपये) अथवा पूर्व से सेवारत होनें की स्थिति में विद्यमान वेतन नियत मानदेय के रूप में देय होगा। परिवीक्षाधीन प्रशिक्षण(प्रोबेशनर ट्रेनी) की अवधि में नियत मानदेय (**FIX REMUNERATION**) के अतिरिक्त अन्य किसी प्रकार के भत्ते यथा महंगाई भत्ता, मकान किराया भत्ता, भाहरी क्षतिपूर्ति भत्ता, महंगाई वेतन, विशेष वेतन, बोनस आदि देय नहीं होगा। राज्य सरकार के आदेश क्रमांक : एफ.12(9)एफडी(रूल्स)/2017 दिनांक 30.10.2017 के अनुसार परिवीक्षाधीन प्रशिक्षण(प्रोबेशनर ट्रेनी) के नियत मानदेय (**FIX REMUNERATION**) से नवीन पेंशन अंशदान की कटौति नियमानुसार होगी।

संबंधित संस्था प्रधान इनको कार्यग्रहण करवानें से पूर्व निम्नांकित कार्यवाही आवश्यक रूप से सम्पादित करेंगें:

1. नियुक्ति पर कार्यग्रहण करवानें से पूर्व नियमानुसार संबंधित अभ्यर्थी का संबंधित जिला पुलिस अधीक्षक द्वारा प्रदत्त चरित्र संबंधी सदाचरण रिपोर्ट एवं सक्षम चिकित्साधिकारी द्वारा प्रदत्त स्वस्थता प्रमाणपत्र प्राप्त किया जाना अनिवार्य होगा, इनके अभाव में किसी भी अभ्यर्थी को नियुक्ति पर कार्यग्रहण नहीं करवाया जावेगा। पूर्व से राजकीय सेवा में सेवारत कार्मिकों हेतु यह आवश्यक नहीं होगा।
2. कार्यग्रहण करवानें से पूर्व राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक : एफ.7(1)डीओपी/ए–II/95 दिनांक 08.04.2003 के अनुसार संबंधित अभ्यर्थी से दिनांक 01.06.2002 को अथवा उसके पश्चात उत्पन्न सन्तानों के फलस्वरूप कुल सन्तानों की संख्या दो से अधिक नहीं होनें संबंधी स्वयं सत्यापित प्रमाणपत्र आवश्यक रूप से प्राप्त किया जावे। साथ ही पदस्थापन आदेश में अभ्यर्थी के नाम के सामनें आवेदनपत्र में लगाये गये फोटो भी दिया गया है जिसका अभ्यर्थी के कार्यग्रहण करनें के समय फोटो से मिलान अनिवार्य रूप से किया जावे।
3. विवाहित अभ्यर्थियों के मामले में विवाह पंजीयन प्रमाण पत्र अथवा यदि विवाह, पंजीयन अनिवार्य करनें सबंधी प्रावधान लागू होनें से पूर्व हुआ है तो तत्संबंधी आशय का स्वयं सत्यापित प्रमाणपत्र आवश्यक रूप से प्राप्त किया जावे।
4. अभ्यर्थी द्वारा दहेज नहीं लिये जानें का स्व–घोषणापत्र निर्धारित प्रारूप में प्राप्त किया जावे।
5. राज्य से बाहर की संस्थाओं से प्राप्त शैक्षिक/प्रशैक्षिक योग्यताओं की वैधता संबंधी जांच की विभाग स्तर पर कार्यवाही की जानी शेष है, अतः जिन अभ्यर्थियों द्वारा राज्य से बाहर की संस्थाओं से शैक्षिक / प्रशैक्षिक योग्यता अर्जित की गई है, उन्हें यह नियुक्ति राज्य से बाहर की संस्थाओं से प्राप्त की गई शैक्षिक/प्रशैक्षिक योग्यता वैध व मान्य पाये जानें के अध्यधीन प्रदान की जा रही है। अतः नियुक्ति पर कार्यग्रहण करवानें से पूर्व संबंधित अभ्यर्थी से 10/– के नॉन–ज्यूडिशियल स्टाम्प पर इस आशय का शपथपत्र पूर्व में प्राप्त करेंगें कि यदि इनके द्वारा राज्य से बाहर,त्रुटीपूर्ण,जालि अथवा कुट रचित दस्तावेज पाये जाने पर उनकी नियुक्ति निरस्त की जा सकेगी एवं इनके विरूद्ध कार्यवाही करनें हेतु विभाग स्वतंत्र रहेगा । आवेदन पत्र के साथ संलग्न दस्तावेजों का मिलान मूल दस्तावेजों से कार्यग्रहण करानें से पूर्व संबंधित संस्था प्रधान अपने स्तर पर आवश्यक रूप से करेंगें। मिलान में यदि कोई भिन्नता पाई जावे तो उसके संबंध में पूर्ण टिप्पणी सहित प्रकरण तुरन्त इस कार्यालय को भिजवायेंगें।
6. अन्य पिछडा वर्ग का सक्षम अधिकारी द्वारा प्रदत्त नवीनतम मान्य प्रमाणपत्र पिता की आय के आधार पर जारी किया हुआ होना चाहिये। महिला आवेदकों के मामले में यदि पति के नाम एवं पति की आय के आधार पर जारी किया हुआ हो तो ही मान्य होगा। संबंधित संस्था प्रधान कार्यग्रहण करानें से पूर्व इसकी पालना सुनिश्चित करें।

7. चयनित अभ्यर्थियों के कार्यग्रहण करानें से पूर्व उनकी पात्रता, आयु, एवं आरक्षण संबंधी समस्त दस्तावेजों की आवश्यक रूप से जांच करें तथा अभ्यर्थियों से यह शपथपत्र लेवें कि उसके द्वारा प्रस्तुत सूचनाऐं एवं दस्तावेज सही है, इनके त्रुटिपूर्ण, जाली अथवा कूटरचित पाये जानें पर उनकी नियुक्ति निरस्त की जा सकेगी एवं उनके विरूद्ध नियमानुसार विधिक कार्यवाही करनें हेतु विभाग स्वतंत्र रहेगा।
8. कार्यग्रहण करवानें से पूर्व संबंधित अभ्यर्थी से कार्मिक विभाग की अधिसूचना क्रमांक : प. 7(3)कार्मिक/क–2/06/पार्ट दिनांक 04.10.2013 के अनुसार धूम्रपान एवं गुटखा सेवन नहीं करनें संबंधी वचनबद्धता (अण्डरटेकिंग) निर्धारित प्रपत्र में प्राप्त किया जावे।
9. यह नियुक्ति आदेश, प्रसारित विज्ञप्ति वरिष्ठ अध्यापक (विभिन्न विषय) प्रतियोगी परीक्षा–2016 के प्रकरण में माननीय न्यायालय में दायर विभिन्न याचिकाओं के निर्णयों के अध्यधीन रहेंगी।
10. इन अभ्यर्थियों को अपनें पदस्थापित स्थान पर दिनांक **10.11.2018** तक अनिवार्य रूप से कार्यग्रहण करना होगा, अन्यथा यह नियुक्ति आदेश स्वतः निरस्त माने जायेंगें।
11. टीएसपी परिक्षेत्र के अभ्यार्थियो से विशेष मुल निवास प्रमाणपत्र राज्य सरकार द्वारा नवीनतम निर्धारित प्रपत्र में अधिकृत सक्षम अधिकारी द्वारा जारी किया होना चाहिये इसके अभाव मे कार्यग्रहण नही करवाया जाये
12. चयनित अभ्यर्थियो की नियुक्ति आदेश प्रसारित विज्ञप्ति वरिष्ठ अध्यापक (विभिन्न विषय)प्रतियोगी परीक्षा 2016 के प्रकरण में माननीय न्यायालय में दायर विभिन्न याचिकाओ के निर्णयो के अध्यधीन रहेगे ।
13. नोन टीएसपी से टीएसपी क्षेत्र के विद्यालय में पदस्थापन होने की स्थिति में कार्मिक को कार्यग्रहण नही करवाते हुए संस्था प्रधान इस कार्यालय हेतु भिजावे ।
14. संबधित संस्था प्रधान कार्मिक की आईडी एवं फोटो का मिलान करने के पश्चात् ही कार्यग्रहण करावे ।

विधानसभा आम चुनाव आदर्श आचार संहिता मे शिथिलन की स्वीकृति निर्वाचन विभाग राजस्थान के पंत्राक एफ–3(1)(9) I/Elect/2018/6995 दिनांक 08.10.2018 के गठित स्क्रीनिंग समिति से अनुमति प्रदान किये जाने एंव सामान्य प्रशासन विभाग की आई0डी0 संख्या 3697/पीएस/जीएडी/18 दिनांक 23.10.2018 द्वारा सहमति प्रदान कर दी गई है।

(भरत मेहता)
संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा
उदयपुर संभाग उदयपुर

क्रमांक : सनि/स्कूल शिक्षा/उदय/संस्था–ब/फा–1051–53/2018/130 दिनांक : **31.10.2018**

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेशित हैः

1. प्रमुख शासन सचिव, स्कूल एवं संस्कृत शिक्षा, राजस्थान, जयपुर
2. शासन उपसचिव, शिक्षा (ग्रुप–2) विभाग, राजस्थान, जयपुर
3. शासन उपसचिव, कार्मिक (क–2) विभाग, राजस्थान, जयपुर
4. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर
5. विशिष्ट सहायक, माननीय शिक्षा मंत्री महोदय, राजस्थान, जयपुर
6. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा/प्रारम्भिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर
7. मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी .....
8. संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी मुख्यालय माध्यमिक/प्रारम्भिक शिक्षा .....
9. मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी .....
10. वरिष्ठता अनुभाग – कार्यालय हाजा
11. संबंधित संस्था प्रधान.....
12. संबंधित अभ्यर्थी.....(रजिस्टर्ड डाक से)
13. निजी/गार्ड पत्रावली

संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा
उदयपुर संभाग उदयपुर

कार्यालय संयुक्त निदेशक (स्कूल शिक्षा) उदयपुर सम्भाग,उदयपुर

क्रमांक–संयु.नि. / स्कूल शिक्षा / उदय / संस्थापन / फा–1051–53 / 2018 / 130 दिनांक **31.10.2018**

विषय– गणित

क्र. स.	मेरिट न0	आशार्थी का नाम	पिता / पति का नाम	पता	जन्म तिथि	वर्ग	चयन वर्ग		पदस्थापन स्थान (राउमावि / मावि / राउप्रावि)	जिला
टीएसपी										
1	**635**	PRAKASH SOLANKI	SOKA SOLANKI	PRAKASHSOLANKIS/OSOKASOLANKI, BASSI, KUSHALGARH, RUGARH, BANSWARA	25/07/1991	TSP-ST,RG	TSTM		चूडादा (कुशलगढ)	बांसवाडा
नान–टीएसपी										
2	**145**	JITENDRA SINGH SHEKHAWAT	PRAHALAD SINGH SHEKHAWAT	VILL-JALIMSINGHKABAS,POST-SANDARSAR,TEHSIL-CHOMU,DIST-JAIPUR, SANDARSAR, CHOMU, JALIM SINGH KA BAS, JAIPUR	20/07/1993	GE	GENM		डेलवास (डूंगला)	चितौडगढ
3	**174**	RAMA KUMARI	DHARMVIR SINGH	VILL-MADARPURPOST-BARAKHUR, BARAKHUR, , MADARPUR, BHARATPUR	25/05/1992	BC,WE	OBCF		नदबई (बेगू)	चितौडगढ
4	**287**	BHAGAVANTI BHADU	ADURAM BHADU	BEHINDJAINPGCOLLEGE,VISHWAKARMACOLONY,GAGNASHAHAR,BIKANER, GANGASHAHAR, , , BIKANER	15/06/1993	BC,WE,LD	OBCF	LD	जूणदा खेडी (रेलमगरा)	राजसमन्द
5	**524**	RAJENDRA SINGH CHAUDHARY	MOHAN SINGH CHAUDHARY	RAJENDRASINGHCHAUDHARYS/OSH.MOHANSINGHCHAUDHARY,ROUNDHIYAMOHALLA(OPPOSITEFORTGATE)DEEG, , , DEEG, BHARATPUR	05/02/1972	GE,EX	GENM	EX	निम्बोदडा (डूंगला)	चितौडगढ

(भरत मेहता)
संयुक्त निदेशक(स्कूल शिक्षा)
उदयपुर सम्भाग उदयपुर

कार्यालय संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा, उदयपुर संभाग उदयपुर

कार्यालय आदेश

TSP

निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर के पत्रांक : शिविरा–मा/संस्था/एफ–1/12102/सी.भ./व.अ.–सामाजिक विज्ञान/2018/ दिनांक 30.10.2018 के द्वारा राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर से द्वितीय वेतन श्रंखला अध्यापक भर्ती परीक्षा–2016 से चयनित आशार्थियों(सामाजिक विज्ञान) को नियुक्ति हेतु पदस्थापन के लिये सुपुर्द करनें के फलस्वरूपं संलग्न सूची में अंकित अभ्यर्थियों को, **वरिष्ठ अध्यापक–सामाजिक विज्ञान** के पद पर राजस्थान सिविल सेवा (पुनरीक्षित वेतनमान) नियम 2017 के वेतन लेवल–11 में दो वर्ष की अवधि हेतु प्रशिक्षणार्थी (प्रोबेशनर ट्रेनी) के रूप में नियत मानदेय 26500/–(छब्बीस हजार पांच सौ रूपये) पर नियुक्ति दी जाकर इनके नाम के सम्मुख अंकित विद्यालय में रिक्त पद पर पदस्थापित किया जाता है। इन्हें परिवीक्षाधीन प्रशिक्षण अवधि में कार्यग्रहण करनें की दिनांक से दो वर्ष की अवधि तक राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांकः एफ.12(9)एफडी(रूल्स)/2017 दिनांक 30.10.2017 के प्रावधानानुसार नियत मानदेय 26500/–(छब्बीस हजार पांच सौ रूपये) अथवा पूर्व से सेवारत होनें की स्थिति में विद्यमान वेतन नियत मानदेय के रूप में देय होगा। परिवीक्षाधीन प्रशिक्षण(प्रोबेशनर ट्रेनी) की अवधि में नियत मानदेय (**FIX REMUNERATION**) के अतिरिक्त अन्य किसी प्रकार के भत्ते यथा महंगाई भत्ता, मकान किराया भत्ता, भाहरी क्षतिपूर्ति भत्ता, महंगाई वेतन, विशेष वेतन, बोनस आदि देय नहीं होगा। राज्य सरकार के आदेश क्रमांक : एफ.12(9)एफडी(रूल्स)/2017 दिनांक 30.10.2017 के अनुसार परिवीक्षाधीन प्रशिक्षण(प्रोबेशनर ट्रेनी) के नियत मानदेय (**FIX REMUNERATION**) से नवीन पेंशन अंशदान की कटौति नियमानुसार होगी।

संबंधित संस्था प्रधान इनको कार्यग्रहण करवानें से पूर्व निम्नांकित कार्यवाही आवश्यक रूप से सम्पादित करेंगें:

1. नियुक्ति पर कार्यग्रहण करवानें से पूर्व नियमानुसार संबंधित अभ्यर्थी का संबंधित जिला पुलिस अधीक्षक द्वारा प्रदत्त चरित्र संबंधी सदाचरण रिपोर्ट एवं सक्षम चिकित्साधिकारी द्वारा प्रदत्त स्वस्थता प्रमाणपत्र प्राप्त किया जाना अनिवार्य होगा, इनके अभाव में किसी भी अभ्यर्थी को नियुक्ति पर कार्यग्रहण नहीं करवाया जावेगा। पूर्व से राजकीय सेवा में सेवारत कार्मिकों हेतु यह आवश्यक नहीं होगा।
2. कार्यग्रहण करवानें से पूर्व राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक : एफ.7(1)डीओपी/ए–II/95 दिनांक 08.04.2003 के अनुसार संबंधित अभ्यर्थी से दिनांक 01.06.2002 को अथवा उसके पश्चात उत्पन्न सन्तानों के फलस्वरूप कुल सन्तानों की संख्या दो से अधिक नहीं होनें संबंधी स्वयं सत्यापित प्रमाणपत्र आवश्यक रूप से प्राप्त किया जावे। साथ ही पदस्थापन आदेश में अभ्यर्थी के नाम के सामनें आवेदनपत्र में लगाये गये फोटो भी दिया गया है जिसका अभ्यर्थी के कार्यग्रहण करनें के समय फोटो से मिलान अनिवार्य रूप से किया जावे।
3. विवाहित अभ्यर्थियों के मामले में विवाह पंजीयन प्रमाण पत्र अथवा यदि विवाह, पंजीयन अनिवार्य करनें सबंधी प्रावधान लागू होनें से पूर्व हुआ है तो तत्संबंधी आशय का स्वयं सत्यापित प्रमाणपत्र आवश्यक रूप से प्राप्त किया जावे।
4. अभ्यर्थी द्वारा दहेज नहीं लिये जानें का स्व–घोषणापत्र निर्धारित प्रारूप में प्राप्त किया जावे।
5. राज्य से बाहर की संस्थाओं से प्राप्त शैक्षिक/प्रशैक्षिक योग्यताओं की वैधता संबंधी जांच की विभाग स्तर पर कार्यवाही की जानी शेष है, अतः जिन अभ्यर्थियों द्वारा राज्य से बाहर की संस्थाओं से शैक्षिक / प्रशैक्षिक योग्यता अर्जित की गई है, उन्हें यह नियुक्ति राज्य से बाहर की संस्थाओं से प्राप्त की गई शैक्षिक/प्रशैक्षिक योग्यता वैध व मान्य पाये जानें के अध्यधीन प्रदान की जा रही है। अतः नियुक्ति पर कार्यग्रहण करवानें से पूर्व संबंधित अभ्यर्थी से 10/– के नॉन–ज्यूडिशियल स्टाम्प पर इस आशय का शपथपत्र पूर्व में प्राप्त करेंगें कि यदि इनके द्वारा राज्य से बाहर,त्रुटीपूर्ण,जालि अथवा कुट रचित दस्तावेज पाये जाने पर उनकी नियुक्ति निरस्त की जा सकेगी एवं इनके विरूद्ध कार्यवाही करनें हेतु विभाग स्वतंत्र रहेगा । आवेदन पत्र के साथ संलग्न दस्तावेजों का मिलान मूल दस्तावेजों से कार्यग्रहण करानें से पूर्व संबंधित संस्था प्रधान अपने स्तर पर आवश्यक रूप से करेंगें। मिलान में यदि कोई भिन्नता पाई जावे तो उसके संबंध में पूर्ण टिप्पणी सहित प्रकरण तुरन्त इस कार्यालय को भिजवायेंगें।
6. अन्य पिछडा वर्ग का सक्षम अधिकारी द्वारा प्रदत्त नवीनतम मान्य प्रमाणपत्र पिता की आय के आधार पर जारी किया हुआ होना चाहिये। महिला आवेदकों के मामले में यदि पति के नाम एवं पति की आय के

आधार पर जारी किया हुआ हो तो ही मान्य होगा। संबंधित संस्था प्रधान कार्यग्रहण करानें से पूर्व इसकी पालना सुनिश्चित करें।

7. चयनित अभ्यर्थियों के कार्यग्रहण करानें से पूर्व उनकी पात्रता, आयु, एवं आरक्षण संबंधी समस्त दस्तावेजों की आवश्यक रूप से जांच करें तथा अभ्यर्थियों से यह शपथपत्र लेवें कि उसके द्वारा प्रस्तुत सूचनाऐं एवं दस्तावेज सही है, इनके त्रुटिपूर्ण, जाली अथवा कूटरचित पाये जानें पर उनकी नियुक्ति निरस्त की जा सकेगी एवं उनके विरूद्ध नियमानुसार विधिक कार्यवाही करनें हेतु विभाग स्वतंत्र रहेगा।
8. कार्यग्रहण करवानें से पूर्व संबंधित अभ्यर्थी से कार्मिक विभाग की अधिसूचना क्रमांक : प. 7(3)कार्मिक/क–2/06/पार्ट दिनांक 04.10.2013 के अनुसार धूम्रपान एवं गुटखा सेवन नहीं करनें संबंधी वचनबद्धता (अण्डरटेकिंग) निर्धारित प्रपत्र में प्राप्त किया जावे।
9. यह नियुक्ति आदेश, प्रसारित विज्ञप्ति वरिष्ठ अध्यापक (विभिन्न विषय) प्रतियोगी परीक्षा–2016 के प्रकरण में माननीय न्यायालय में दायर विभिन्न याचिकाओं के निर्णयों के अध्यधीन रहेंगी।
10. इन अभ्यर्थियों को अपनें पदस्थापित स्थान पर दिनांक **10.11.2018** तक अनिवार्य रूप से कार्यग्रहण करना होगा, अन्यथा यह नियुक्ति आदेश स्वतः निरस्त माने जायेंगें।
11. टीएसपी परिक्षेत्र के अभ्यार्थियो से विशेष मुल निवास प्रमाणपत्र राज्य सरकार द्वारा नवीनतम निर्धारित प्रपत्र में अधिकृत सक्षम अधिकारी द्वारा जारी किया होना चाहिये इसके अभाव मे कार्यग्रहण नही करवाया जाये
12. चयनित अभ्यर्थियो की नियुक्ति आदेश प्रसारित विज्ञप्ति वरिष्ठ अध्यापक (विभिन्न विषय)प्रतियोगी परीक्षा 2016 के प्रकरण में माननीय न्यायालय में दायर विभिन्न याचिकाओ के निर्णयो के अध्यधीन रहेगे ।
13. नोन टीएसपी से टीएसपी क्षेत्र के विद्यालय में पदस्थापन होने की स्थिति में कार्मिक को कार्यग्रहण नही करवाते हुए संस्था प्रधान इस कार्यालय हेतु भिजावे ।
14. संबधित संस्था प्रधान कार्मिक की आईडी एवं फोटो का मिलान करने के पश्चात् ही कार्यग्रहण करावे ।

विधानसभा आम चुनाव आदर्श आचार संहिता मे शिथिलन की स्वीकृति निर्वाचन विभाग राजस्थान के पंत्राक एफ–3(1)(9) I/Elect/2018/6995 दिनांक 08.10.2018 के गठित स्क्रीनिंग समिति से अनुमति प्रदान किये जाने एंव सामान्य प्रशासन विभाग की आई0डी0 संख्या 3697/पीएस/जीएडी/18 दिनांक 23.10.2018 द्वारा सहमति प्रदान कर दी गई है।

(भरत मेहता)
संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा
उदयपुर संभाग उदयपुर

क्रमांक : सनि/स्कूल शिक्षा/उदय/संस्था–ब/फा–1051–53/2018/131 दिनांक : **31.10.2018**

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेशित हैः

1. प्रमुख शासन सचिव, स्कूल एवं संस्कृत शिक्षा, राजस्थान, जयपुर
2. शासन उपसचिव, शिक्षा (ग्रुप–2) विभाग, राजस्थान, जयपुर
3. शासन उपसचिव, कार्मिक (क–2) विभाग, राजस्थान, जयपुर
4. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर
5. विशिष्ट सहायक, माननीय शिक्षा मंत्री महोदय, राजस्थान, जयपुर
6. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा/प्रारम्भिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर
7. मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी .....
8. संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी मुख्यालय माध्यमिक/प्रारम्भिक शिक्षा .....
9. मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी .....
10. वरिष्ठता अनुभाग – कार्यालय हाजा
11. संबंधित संस्था प्रधान.....
12. संबंधित अभ्यर्थी.....(रजिस्टर्ड डाक से)
13. निजी/गार्ड पत्रावली

संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा
उदयपुर संभाग उदयपुर

कार्यालय संयुक्त निदेशक (स्कूल शिक्षा) उदयपुर सम्भाग,उदयपुर

क्रमांक–संयु.नि. / स्कूल शिक्षा / उदय / संस्थापन / फा–1051–53 / 2018 / 131 दिनांक **31.10.2018**

विषय– सामाजिक विज्ञान

क्र. स.	मेरिट न0	आशार्थी का नाम	पिता / पति का नाम	पता	जन्म तिथि	वर्ग	चयन वर्ग		पदस्थापन स्थान (राउमावि / मावि / राउप्रावि)	जिला
टीएसपी										
1	1150	USHA KUMARI	RAJ KUMAR	KALYANPURAROADDHARIYAWAD, DHARIYAWAD, DHARIWAD, DHARIYAWAD, PRATAPGARH	14/04/1989	GE, WE, RG	TGEF		मांगलिया दईडा (बागीदोरा)	बांसवाडा
2	1534	MAYUR JOSHI	UMESH CHANDRA JOSHI	MAYURJOSHISOUMESHCHANDRAJOSHI, NARANIYA, , NARANIYA, DUNGARPUR	08/05/1991	GE	TGEM		घटाउ (दोवडा)	डूंगरपुर
3	1756	BABU LAL BARANDA	NAVLAJI BARANDA	VILLAGETHANAPOSTTHANA, THANA, , THANA, DUNGARPUR	15/06/1982	TSP-ST	TSTM		डूंगर सारण (चीखली)	डूंगरपुर
4	1771	AMALIYA BHAVNA	AMALIYA DEVI LAL	VILLAGEPADLAMANAROATPOSTKARAWARATEHJHOTHARIDISTDUNGARPUR, KARAWARA, JHOTHRIPAL, PADLA MANAROAT, DUNGARPUR	27/10/1987	TSP-ST, WE	TSTF		वसी पाल (दोवडा)	डूंगरपुर
5	1847	BEENU PARMAR	NAGJI RAM PARMAR	BEENUPARMARW/0BHARATKHANT, UMMEDGARHI, BAGIDORA, UMMEDGARHI, BANSWARA	13/12/1979	TSP-ST, WE, RG	TSTF		जाखरी (सागवाडा)	डूंगरपुर
6	2200	LATA KUMARI	GANGASHWER	VILLVANDA,PO-DOKER, DOKER, ANANDPURI, vanda, BANSWARA	02/03/1988	TSP-ST, WE, WD	TSTF	WD	मडकोला मोगजी (आनन्दपुरी)	बांसवाडा
7	2202	SAJANA CHOUHAN	ISHWAR LAL CHOUHAN	AMBEDKARCOLONYKUSHALGARH, KUSHALGARH, KUSHALGARH, KUSHALGARH, BANSWARA	25/06/1989	TSP-SC, WE, WD	TSCF	WD	काजलिया (आनन्दपुरी)	बांसवाडा
8	2207	KAVITA BHABOR	NARENDRA KUMAR BHABOR	V&P.ROHANIYA(SHERGARH)TEH.GANGARTALAIDIST.BANSWARARAJ., ROHANIYA, GANGADTALAI, ROHANIYA, BANSWARA	17/11/1988	TSP-ST, WE, WD	TSTF	WD	बिलीपाडा (कुशलगढ)	बांसवाडा
9	2215	PANKAJ DAMOR	DHULJI DAMOR	VILL.KIKAPADAVANELAPARAPOST.TEH.BAGIDORADIST.BANSWARARAJ., BAGIDORA, BAGIDORA, KIKAPADA VANELAPARA, BANSWARA	20/07/1992	TSP-ST, EX	TSTM	EX	बिलडी (पीपलखूंट)	प्रतापगढ
10	2217	SHARMILA BHAMAT	SHANKAR LA BHAMAT	VPOUDARIYAPOSTRATHDICHIKHLI, RATHDI, CHIKHLI, UDARIYA, DUNGARPUR	15/07/1987	TSP-ST, WE, WD	TSTF	WD	बगायचा (कुशलगढ)	बांसवाडा

(भरत मेहता)
संयुक्त निदेशक(स्कूल शिक्षा)
उदयपुर सम्भाग उदयपुर

कार्यालय संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा, उदयपुर संभाग उदयपुर

(टीएसपी)

कार्यालय आदेश

निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर के पत्रांक : शिविरा–मा/संस्था/एफ–1/12102/सी.भ./व.अ.–हिन्दी/2018/ दिनांक 30.10.2018 के द्वारा राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर से द्वितीय वेतन श्रंखला अध्यापक भर्ती परीक्षा–2016 से चयनित आशार्थियों(हिन्दी) को नियुक्ति हेतु पदस्थापन के लिये सुपुर्द करनें के फलस्वरूपं संलग्न सूची में अंकित अभ्यर्थियों को, **वरिष्ठ अध्यापक–हिन्दी** के पद पर राजस्थान सिविल सेवा (पुनरीक्षित वेतनमान) नियम 2017 के वेतन लेवल–11 में दो वर्ष की अवधि हेतु प्रशिक्षणार्थी (प्रोबेशनर ट्रेनी) के रूप में नियत मानदेय 26500/–(छब्बीस हजार पांच सौ रूपये) पर नियुक्ति दी जाकर इनके नाम के सम्मुख अंकित विद्यालय में रिक्त पद पर पदस्थापित किया जाता है। इन्हें परिवीक्षाधीन प्रशिक्षण अवधि में कार्यग्रहण करनें की दिनांक से दो वर्ष की अवधि तक राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांकः एफ.12(9)एफडी(रूल्स)/2017 दिनांक 30.10.2017 के प्रावधानानुसार नियत मानदेय 26500/–(छब्बीस हजार पांच सौ रूपये) अथवा पूर्व से सेवारत होनें की स्थिति में विद्यमान वेतन नियत मानदेय के रूप में देय होगा। परिवीक्षाधीन प्रशिक्षण(प्रोबेशनर ट्रेनी) की अवधि में नियत मानदेय (**FIX REMUNERATION**) के अतिरिक्त अन्य किसी प्रकार के भत्ते यथा महंगाई भत्ता, मकान किराया भत्ता, भाहरी क्षतिपूर्ति भत्ता, महंगाई वेतन, विशेष वेतन, बोनस आदि देय नहीं होगा। राज्य सरकार के आदेश क्रमांक : एफ.12(9)एफडी(रूल्स)/2017 दिनांक 30.10.2017 के अनुसार परिवीक्षाधीन प्रशिक्षण(प्रोबेशनर ट्रेनी) के नियत मानदेय (**FIX REMUNERATION**) से नवीन पेंशन अंशदान की कटौति नियमानुसार होगी।

संबंधित संस्था प्रधान इनको कार्यग्रहण करवानें से पूर्व निम्नांकित कार्यवाही आवश्यक रूप से सम्पादित करेंगें:

1. नियुक्ति पर कार्यग्रहण करवानें से पूर्व नियमानुसार संबंधित अभ्यर्थी का संबंधित जिला पुलिस अधीक्षक द्वारा प्रदत्त चरित्र संबंधी सदाचरण रिपोर्ट एवं सक्षम चिकित्साधिकारी द्वारा प्रदत्त स्वस्थता प्रमाणपत्र प्राप्त किया जाना अनिवार्य होगा, इनके अभाव में किसी भी अभ्यर्थी को नियुक्ति पर कार्यग्रहण नहीं करवाया जावेगा। पूर्व से राजकीय सेवा में सेवारत कार्मिकों हेतु यह आवश्यक नहीं होगा।
2. कार्यग्रहण करवानें से पूर्व राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक : एफ.7(1)डीओपी/ए–II/95 दिनांक 08.04.2003 के अनुसार संबंधित अभ्यर्थी से दिनांक 01.06.2002 को अथवा उसके पश्चात उत्पन्न सन्तानों के फलस्वरूप कुल सन्तानों की संख्या दो से अधिक नहीं होनें संबंधी स्वयं सत्यापित प्रमाणपत्र आवश्यक रूप से प्राप्त किया जावे। साथ ही पदस्थापन आदेश में अभ्यर्थी के नाम के सामनें आवेदनपत्र में लगाये गये फोटो भी दिया गया है जिसका अभ्यर्थी के कार्यग्रहण करनें के समय फोटो से मिलान अनिवार्य रूप से किया जावे।
3. विवाहित अभ्यर्थियों के मामले में विवाह पंजीयन प्रमाण पत्र अथवा यदि विवाह, पंजीयन अनिवार्य करनें सबंधी प्रावधान लागू होनें से पूर्व हुआ है तो तत्संबंधी आशय का स्वयं सत्यापित प्रमाणपत्र आवश्यक रूप से प्राप्त किया जावे।
4. अभ्यर्थी द्वारा दहेज नहीं लिये जानें का स्व–घोषणापत्र निर्धारित प्रारूप में प्राप्त किया जावे।
5. राज्य से बाहर की संस्थाओं से प्राप्त शैक्षिक/प्रशैक्षिक योग्यताओं की वैधता संबंधी जांच की विभाग स्तर पर कार्यवाही की जानी शेष है, अतः जिन अभ्यर्थियों द्वारा राज्य से बाहर की संस्थाओं से शैक्षिक / प्रशैक्षिक योग्यता अर्जित की गई है, उन्हें यह नियुक्ति राज्य से बाहर की संस्थाओं से प्राप्त की गई शैक्षिक/प्रशैक्षिक योग्यता वैध व मान्य पाये जानें के अध्यधीन प्रदान की जा रही है। अतः नियुक्ति पर कार्यग्रहण करवानें से पूर्व संबंधित अभ्यर्थी से 10/– के नॉन–ज्यूडिशियल स्टाम्प पर इस आशय का शपथपत्र पूर्व में प्राप्त करेंगें कि यदि इनके द्वारा राज्य से बाहर,त्रुटीपूर्ण,जालि अथवा कुट रचित दस्तावेज पाये जाने पर उनकी नियुक्ति निरस्त की जा सकेगी एवं इनके विरूद्ध कार्यवाही करनें हेतु विभाग स्वतंत्र रहेगा । आवेदन पत्र के साथ संलग्न दस्तावेजों का मिलान मूल दस्तावेजों से कार्यग्रहण करानें से पूर्व संबंधित संस्था प्रधान अपने स्तर पर आवश्यक रूप से करेंगें। मिलान में यदि कोई भिन्नता पाई जावे तो उसके संबंध में पूर्ण टिप्पणी सहित प्रकरण तुरन्त इस कार्यालय को भिजवायेंगें।
6. अन्य पिछडा वर्ग का सक्षम अधिकारी द्वारा प्रदत्त नवीनतम मान्य प्रमाणपत्र पिता की आय के आधार पर जारी किया हुआ होना चाहिये। महिला आवेदकों के मामले में यदि पति के नाम एवं पति की आय के आधार पर जारी किया हुआ हो तो ही मान्य होगा। संबंधित संस्था प्रधान कार्यग्रहण करानें से पूर्व इसकी पालना सुनिश्चित करें।

7. चयनित अभ्यर्थियों के कार्यग्रहण करानें से पूर्व उनकी पात्रता, आयु, एवं आरक्षण संबंधी समस्त दस्तावेजों की आवश्यक रूप से जांच करें तथा अभ्यर्थियों से यह शपथपत्र लेवें कि उसके द्वारा प्रस्तुत सूचनाऐं एवं दस्तावेज सही है, इनके त्रुटिपूर्ण, जाली अथवा कूटरचित पाये जानें पर उनकी नियुक्ति निरस्त की जा सकेगी एवं उनके विरूद्ध नियमानुसार विधिक कार्यवाही करनें हेतु विभाग स्वतंत्र रहेगा।
8. कार्यग्रहण करवानें से पूर्व संबंधित अभ्यर्थी से कार्मिक विभाग की अधिसूचना क्रमांक : प. 7(3)कार्मिक/क–2/06/पार्ट दिनांक 04.10.2013 के अनुसार धूम्रपान एवं गुटखा सेवन नहीं करनें संबंधी वचनबद्धता (अण्डरटेकिंग) निर्धारित प्रपत्र में प्राप्त किया जावे।
9. यह नियुक्ति आदेश, प्रसारित विज्ञप्ति वरिष्ठ अध्यापक (विभिन्न विषय) प्रतियोगी परीक्षा–2016 के प्रकरण में माननीय न्यायालय में दायर विभिन्न याचिकाओं के निर्णयों के अध्यधीन रहेंगी।
10. इन अभ्यर्थियों को अपनें पदस्थापित स्थान पर दिनांक **10.11.2018** तक अनिवार्य रूप से कार्यग्रहण करना होगा, अन्यथा यह नियुक्ति आदेश स्वतः निरस्त माने जायेंगें।
11. टीएसपी परिक्षेत्र के अभ्यार्थियो से विशेष मुल निवास प्रमाणपत्र राज्य सरकार द्वारा नवीनतम निर्धारित प्रपत्र में अधिकृत सक्षम अधिकारी द्वारा जारी किया होना चाहिये इसके अभाव मे कार्यग्रहण नही करवाया जाये
12. चयनित अभ्यर्थियो की नियुक्ति आदेश प्रसारित विज्ञप्ति वरिष्ठ अध्यापक (विभिन्न विषय)प्रतियोगी परीक्षा 2016 के प्रकरण में माननीय न्यायालय में दायर विभिन्न याचिकाओ के निर्णयो के अध्यधीन रहेगे ।
13. नोन टीएसपी से टीएसपी क्षेत्र के विद्यालय में पदस्थापन होने की स्थिति में कार्मिक को कार्यग्रहण नही करवाते हुए संस्था प्रधान इस कार्यालय हेतु भिजावे ।
14. संबधित संस्था प्रधान कार्मिक की आईडी एवं फोटो का मिलान करने के पश्चात् ही कार्यग्रहण करावे ।

विधानसभा आम चुनाव आदर्श आचार संहिता मे शिथिलन की स्वीकृति निर्वाचन विभाग राजस्थान के पंत्राक एफ–3(1)(9) I/Elect/2018/6995 दिनांक 08.10.2018 के गठित स्क्रीनिंग समिति से अनुमति प्रदान किये जाने एंव सामान्य प्रशासन विभाग की आई0डी0 संख्या 3697/पीएस/जीएडी/18 दिनांक 23.10.2018 द्वारा सहमति प्रदान कर दी गई है।

(भरत मेहता)
संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा
उदयपुर संभाग उदयपुर

क्रमांक : सनि/स्कूल शिक्षा/उदय/संस्था–ब/फा–1051–53/2018/132 दिनांक : **31.10.2018**

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेशित हैः

1. प्रमुख शासन सचिव, स्कूल एवं संस्कृत शिक्षा, राजस्थान, जयपुर
2. शासन उपसचिव, शिक्षा (ग्रुप–2) विभाग, राजस्थान, जयपुर
3. शासन उपसचिव, कार्मिक (क–2) विभाग, राजस्थान, जयपुर
4. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर
5. विशिष्ट सहायक, माननीय शिक्षा मंत्री महोदय, राजस्थान, जयपुर
6. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा/प्रारम्भिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर
7. मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी .....
8. संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी मुख्यालय माध्यमिक/प्रारम्भिक शिक्षा .....
9. मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी .....
10. वरिष्ठता अनुभाग – कार्यालय हाजा
11. संबंधित संस्था प्रधान.....
12. संबंधित अभ्यर्थी.....(रजिस्टर्ड डाक से)
13. निजी/गार्ड पत्रावली

संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा
उदयपुर संभाग उदयपुर

कार्यालय संयुक्त निदेशक (स्कूल शिक्षा) उदयपुर सम्भाग,उदयपुर

क्रमांक–संयु.नि. / स्कूल शिक्षा / उदय / संस्थापन / फा–1051–53 / 2018 / 132 दिनांक **31.10.2018**

विषय– हिन्दी

क्र. स.	मेरिट न0	आशार्थी का नाम	पिता / पति का नाम	पता	जन्म तिथि	वर्ग	चयन वर्ग		पदस्थापन स्थान (राउमावि / मावि / राउप्रावि)	जिला
				टीएसपी						
1	1355	MOTEE SINGH PATEL	KUBER PATEL	VILL.GORDI,PO.SUNDANPUR, SUNDANPUR, BANSWARA, GORDI, BANSWARA	19861128	BC	TGEM		भतार (अरथूना)	बांसवाडा
2	1358	SHYAMA KUMARI NINAMA	RUP CHAND NINAMA	VILL-LAXMIPURA,POST-CHHINCH,TEH-BAGIDORA,DIST-BANSWARA	19930325	TSP-ST, WE	TSTF		जोगडीमाल (कुशलगढ)	बांसवाडा
3	1446	RAY CHAND BHURIYA	HURJEE BHURIYA	MU.RATANMALPO.MUNDRI, MUNDRI, KUSHALGARH, RATANMAL, BANSWARA	08/12/1982	TSP-ST	TSTM		बीलीपाडा (कुशलगढ)	चितौड
4	1499	ASHOK KUMAR FALEJA	GULAB CHAND FALEJA	VPO-RATANPUR, RATANPUR, BICHIWARA, RATANPUR, DUNGARPUR	20/06/1983	TSP-ST	TSTM		चिखली तेजा (आनन्दपुरी)	बांसवाडा
5	1521	PRABHAVATI PARGI	RAJU PARGI	GHODI, RISHABHDEV, BARNA, UDAIPUR	29/12/1985	TSP-ST, WE	TSTF		अम्बावी (फलासिया)	उदयपुर
6	1789	AMRIT LAL RATHORE	VAJIYA RATHORE	VILL.KANPURAPOST.BADANATEH.GHATOLDIST.BANSWARA(RAJ.)PIN.NO.327023, BADANA, GHATOL, BADANA, BANSWARA	07/03/1987	TSP-ST, BL	TSTM	BL	मोवाई (आसपुर)	डूंगरपुर
7	1795	PREETI BALA JAIN	DHEERAJ MAL JAIN	SADARBAJARARNOD, ARNOD, ARNOD, ARNOD, PRATAPGARH	18/11/1983	GE, WE, WD	TGEF	WD	पहाडा (धरियावद)	प्रतापगढ
8	1847	SAJANA CHOUHAN	ISHWAR LAL CHOUHAN	AMBEDKARCOLONYKUSHALGARH, KUSHALGARH, KUSHALGARH, KUSHALGARH, BANSWARA	25/06/1989	TSP-SC, WE, WD	TGEF	WD	पूंजा खुलडी (आनन्दपुरी)	बांसवाडा

(भरत मेहता)
संयुक्त निदेशक(स्कूल शिक्षा)
उदयपुर सम्भाग उदयपुर

कार्यालय संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा, उदयपुर संभाग उदयपुर

कार्यालय आदेश

निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर के पत्रांक : शिविरा–मा/संस्था/एफ–1/12102/सी.भ./व.अ.–संस्कृत/2018/ दिनांक 30.10.2018 के द्वारा राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर से द्वितीय वेतन श्रंखला अध्यापक भर्ती परीक्षा–2016 से चयनित आशार्थियों (संस्कृत) को नियुक्ति हेतु पदस्थापन के लिये सुपुर्द करनें के फलस्वरूपं संलग्न सूची में अंकित अभ्यर्थियों को, **वरिष्ठ अध्यापक–संस्कृत** के पद पर राजस्थान सिविल सेवा (पुनरीक्षित वेतनमान) नियम 2017 के वेतन लेवल–11 में दो वर्ष की अवधि हेतु प्रशिक्षणार्थी (प्रोबेशनर ट्रेनी) के रूप में नियत मानदेय 26500/–(छब्बीस हजार पांच सौ रूपये) पर नियुक्ति दी जाकर इनके नाम के सम्मुख अंकित विद्यालय में रिक्त पद पर पदस्थापित किया जाता है। इन्हें परिवीक्षाधीन प्रशिक्षण अवधि में कार्यग्रहण करनें की दिनांक से दो वर्ष की अवधि तक राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांकः एफ. 12(9)एफडी(रूल्स)/2017 दिनांक 30.10.2017 के प्रावधानानुसार नियत मानदेय 26500/–(छब्बीस हजार पांच सौ रूपये) अथवा पूर्व से सेवारत होनें की स्थिति में विद्यमान वेतन नियत मानदेय के रूप में देय होगा। परिवीक्षाधीन प्रशिक्षण(प्रोबेशनर ट्रेनी) की अवधि में नियत मानदेय (**FIX REMUNERATION**) के अतिरिक्त अन्य किसी प्रकार के भत्ते यथा महंगाई भत्ता, मकान किराया भत्ता, भाहरी क्षतिपूर्ति भत्ता, महंगाई वेतन, विशेष वेतन, बोनस आदि देय नहीं होगा। राज्य सरकार के आदेश क्रमांक : एफ.12(9)एफडी(रूल्स)/2017 दिनांक 30.10.2017 के अनुसार परिवीक्षाधीन प्रशिक्षण(प्रोबेशनर ट्रेनी) के नियत मानदेय (**FIX REMUNERATION**) से नवीन पेंशन अंशदान की कटौति नियमानुसार होगी।

संबंधित संस्था प्रधान इनको कार्यग्रहण करवानें से पूर्व निम्नांकित कार्यवाही आवश्यक रूप से सम्पादित करेंगें:

1. नियुक्ति पर कार्यग्रहण करवानें से पूर्व नियमानुसार संबंधित अभ्यर्थी का संबंधित जिला पुलिस अधीक्षक द्वारा प्रदत्त चरित्र संबंधी सदाचरण रिपोर्ट एवं सक्षम चिकित्साधिकारी द्वारा प्रदत्त स्वस्थता प्रमाणपत्र प्राप्त किया जाना अनिवार्य होगा, इनके अभाव में किसी भी अभ्यर्थी को नियुक्ति पर कार्यग्रहण नहीं करवाया जावेगा। पूर्व से राजकीय सेवा में सेवारत कार्मिकों हेतु यह आवश्यक नहीं होगा।
2. कार्यग्रहण करवानें से पूर्व राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक : एफ.7(1)डीओपी/ए–II/95 दिनांक 08.04.2003 के अनुसार संबंधित अभ्यर्थी से दिनांक 01.06.2002 को अथवा उसके पश्चात उत्पन्न सन्तानों के फलस्वरूप कुल सन्तानों की संख्या दो से अधिक नहीं होनें संबंधी स्वयं सत्यापित प्रमाणपत्र आवश्यक रूप से प्राप्त किया जावे। साथ ही पदस्थापन आदेश में अभ्यर्थी के नाम के सामनें आवेदनपत्र में लगाये गये फोटो भी दिया गया है जिसका अभ्यर्थी के कार्यग्रहण करनें के समय फोटो से मिलान अनिवार्य रूप से किया जावे।
3. विवाहित अभ्यर्थियों के मामले में विवाह पंजीयन प्रमाण पत्र अथवा यदि विवाह, पंजीयन अनिवार्य करनें सबंधी प्रावधान लागू होनें से पूर्व हुआ है तो तत्संबंधी आशय का स्वयं सत्यापित प्रमाणपत्र आवश्यक रूप से प्राप्त किया जावे।
4. अभ्यर्थी द्वारा दहेज नहीं लिये जानें का स्व–घोषणापत्र निर्धारित प्रारूप में प्राप्त किया जावे।
5. राज्य से बाहर की संस्थाओं से प्राप्त शैक्षिक/प्रशैक्षिक योग्यताओं की वैधता संबंधी जांच की विभाग स्तर पर कार्यवाही की जानी शेष है, अतः जिन अभ्यर्थियों द्वारा राज्य से बाहर की संस्थाओं से शैक्षिक / प्रशैक्षिक योग्यता अर्जित की गई है, उन्हें यह नियुक्ति राज्य से बाहर की संस्थाओं से प्राप्त की गई शैक्षिक/प्रशैक्षिक योग्यता वैध व मान्य पाये जानें के अध्यधीन प्रदान की जा रही है। अतः नियुक्ति पर कार्यग्रहण करवानें से पूर्व संबंधित अभ्यर्थी से 10/– के नॉन–ज्यूडिशियल स्टाम्प पर इस आशय का शपथपत्र पूर्व में प्राप्त करेंगें कि यदि इनके द्वारा राज्य से बाहर,त्रुटीपूर्ण,जालि अथवा कुट रचित दस्तावेज पाये जाने पर उनकी नियुक्ति निरस्त की जा सकेगी एवं इनके विरूद्ध कार्यवाही करनें हेतु विभाग स्वतंत्र रहेगा । आवेदन पत्र के साथ संलग्न दस्तावेजों का मिलान मूल दस्तावेजों से कार्यग्रहण करानें से पूर्व संबंधित संस्था प्रधान अपने स्तर पर आवश्यक रूप से करेंगें। मिलान में यदि कोई भिन्नता पाई जावे तो उसके संबंध में पूर्ण टिप्पणी सहित प्रकरण तुरन्त इस कार्यालय को भिजवायेंगें।
6. अन्य पिछडा वर्ग का सक्षम अधिकारी द्वारा प्रदत्त नवीनतम मान्य प्रमाणपत्र पिता की आय के आधार पर जारी किया हुआ होना चाहिये। महिला आवेदकों के मामले में यदि पति के नाम एवं पति की आय के

आधार पर जारी किया हुआ हो तो ही मान्य होगा। संबंधित संस्था प्रधान कार्यग्रहण करानें से पूर्व इसकी पालना सुनिश्चित करें।

7. चयनित अभ्यर्थियों के कार्यग्रहण करानें से पूर्व उनकी पात्रता, आयु, एवं आरक्षण संबंधी समस्त दस्तावेजों की आवश्यक रूप से जांच करें तथा अभ्यर्थियों से यह शपथपत्र लेवें कि उसके द्वारा प्रस्तुत सूचनाऐं एवं दस्तावेज सही है, इनके त्रुटिपूर्ण, जाली अथवा कूटरचित पाये जानें पर उनकी नियुक्ति निरस्त की जा सकेगी एवं उनके विरूद्ध नियमानुसार विधिक कार्यवाही करनें हेतु विभाग स्वतंत्र रहेगा।
8. कार्यग्रहण करवानें से पूर्व संबंधित अभ्यर्थी से कार्मिक विभाग की अधिसूचना क्रमांक : प. 7(3)कार्मिक/क–2/06/पार्ट दिनांक 04.10.2013 के अनुसार धूम्रपान एवं गुटखा सेवन नहीं करनें संबंधी वचनबद्धता (अण्डरटेकिंग) निर्धारित प्रपत्र में प्राप्त किया जावे।
9. यह नियुक्ति आदेश, प्रसारित विज्ञप्ति वरिष्ठ अध्यापक (विभिन्न विषय) प्रतियोगी परीक्षा–2016 के प्रकरण में माननीय न्यायालय में दायर विभिन्न याचिकाओं के निर्णयों के अध्यधीन रहेंगी।
10. इन अभ्यर्थियों को अपनें पदस्थापित स्थान पर दिनांक **10.11.2018** तक अनिवार्य रूप से कार्यग्रहण करना होगा, अन्यथा यह नियुक्ति आदेश स्वतः निरस्त माने जायेंगें।
11. टीएसपी परिक्षेत्र के अभ्यार्थियो से विशेष मुल निवास प्रमाणपत्र राज्य सरकार द्वारा नवीनतम निर्धारित प्रपत्र में अधिकृत सक्षम अधिकारी द्वारा जारी किया होना चाहिये इसके अभाव मे कार्यग्रहण नही करवाया जाये
12. चयनित अभ्यर्थियो की नियुक्ति आदेश प्रसारित विज्ञप्ति वरिष्ठ अध्यापक (विभिन्न विषय)प्रतियोगी परीक्षा 2016 के प्रकरण में माननीय न्यायालय में दायर विभिन्न याचिकाओ के निर्णयो के अध्यधीन रहेगे ।
13. नोन टीएसपी से टीएसपी क्षेत्र के विद्यालय में पदस्थापन होने की स्थिति में कार्मिक को कार्यग्रहण नही करवाते हुए संस्था प्रधान इस कार्यालय हेतु भिजावे ।
14. संबधित संस्था प्रधान कार्मिक की आईडी एवं फोटो का मिलान करने के पश्चात् ही कार्यग्रहण करावे ।

विधानसभा आम चुनाव आदर्श आचार संहिता मे शिथिलन की स्वीकृति निर्वाचन विभाग राजस्थान के पंत्राक एफ–3(1)(9) I/Elect/2018/6995 दिनांक 08.10.2018 के गठित स्क्रीनिंग समिति से अनुमति प्रदान किये जाने एंव सामान्य प्रशासन विभाग की आई0डी0 संख्या 3697/पीएस/जीएडी/18 दिनांक 23.10.2018 द्वारा सहमति प्रदान कर दी गई है।

(भरत मेहता)
संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा
उदयपुर संभाग उदयपुर

क्रमांक : सनि/स्कूल शिक्षा/उदय/संस्था–ब/फा–1051–53/2018/133 दिनांक : **31.10.2018**

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेशित हैः

1. प्रमुख शासन सचिव, स्कूल एवं संस्कृत शिक्षा, राजस्थान, जयपुर
2. शासन उपसचिव, शिक्षा (ग्रुप–2) विभाग, राजस्थान, जयपुर
3. शासन उपसचिव, कार्मिक (क–2) विभाग, राजस्थान, जयपुर
4. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर
5. विशिष्ट सहायक, माननीय शिक्षा मंत्री महोदय, राजस्थान, जयपुर
6. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा/प्रारम्भिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर
7. मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी .....
8. संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी मुख्यालय माध्यमिक/प्रारम्भिक शिक्षा .....
9. मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी .....
10. वरिष्ठता अनुभाग – कार्यालय हाजा
11. संबंधित संस्था प्रधान.....
12. संबंधित अभ्यर्थी.....(रजिस्टर्ड डाक से)
13. निजी/गार्ड पत्रावली

संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा
उदयपुर संभाग उदयपुर

कार्यालय संयुक्त निदेशक (स्कूल शिक्षा) उदयपुर सम्भाग,उदयपुर

क्रमांक–संयु.नि. / स्कूल शिक्षा / उदय / संस्थापन / फा–1051–53 / 2018 / 133 दिनांक **31.10.2018**

विषय– संस्कृत

क्र. स.	मेरिट न0	आशार्थी का नाम	पिता / पति का नाम	पता	जन्म तिथि	वर्ग	चयन वर्ग		पदस्थापन स्थान (राउमावि / मावि / राउप्रावि)	जिला
टीएसपी										
1	2226	POOJA RAIDAS	JAI PRAKASH RAIDAS	TALAIMOHALLA-PRATAPGARH, PRATAPGARH, PRATAPGARH,	05/02/1993	TSP-SC, WE	TGEF		गोमाना (छोटीसादडी)	प्रतापगढ
2	2980	MADHU KATARA	LAJRAS KATARA	MADHUKATARAW/OPRAFULLACHAUHAN,WARDNO.2,CHANDRAVEERGARH,BORKHEDI,POST-SAGROD, SAGROD, BANSWARA,	23/07/1988	TSP-ST, WE	TSTF		चोरडी (बांसवाडा)	बांसवाडा
3	3011	SANGEETA NINAMA	PEMAJI NINAMA	SANGEETANINAMAD/OPEMAJININAMA, PALODA, GADI, PALODA, BANSWARA	05/07/1991	TSP-ST, WE	TSTF		जैर (आनन्दपुरी)	बांसवाडा
4	3232	DEEPIKA KUMARI UPADHYAY	RAM CHANDRA UPADHYAY	GAMDA BRAHMANIYA SAGWARA, DUNGARPUR	15/03/1985	GE, WE, WD	TGEF	WD	आसपुर (आसपुर)	डूंगरपुर
नोन–टीएसपी										
5	1420-A	DINESH CHAND	KALYAN SINGH	ग्राम–होता, पो.खेडली गडासिया, तह. नदबई जिला–भरतपुर	12/12/1983	BC, RG	OBCM		केवलपुरा (बडी सादडी)	चित्तौड
6	1430-A	PRITI KUMARI	RAKESH SINGH	गा.पो. तमरेर, तह. कुम्हेर जिला–भरतपुर	06/02/1993	BC, WE	OBCM		फतहपुरा (मावली)	उदयपुर
7	1718-A	KANHAIYA RAM	KAMAL SINGH	ग्राम–मुण्डेरा, पो. तरोन्डर, तह. नगर जिला–भरतपुर	07/03/1992	BC	OBCM		सुंखार (कुम्भलगढ)	राजसमंद
8	1803-A	RAMVEER SINGH	VAVU SINGH	ग्रा.पो.खेडली गडासिया, तह. बयाना जिला–भरतपुर	21-07-81	BC	OBCM		नीचला घाटडा (कुम्भलगढ)	राजसमंद

(भरत मेहता)
संयुक्त निदेशक(स्कूल शिक्षा)
उदयपुर सम्भाग उदयपुर

कार्यालय संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा, उदयपुर संभाग उदयपुर

(नान–टीएसपी)

कार्यालय आदेश

निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर के पत्रांक : शिविरा–मा/संस्था/एफ–1/12102/सी.भ./व.अ.–हिन्दी/2018/ दिनांक 30.10.2018 के द्वारा राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर से द्वितीय वेतन श्रंखला अध्यापक भर्ती परीक्षा–2016 से चयनित आशार्थियों(हिन्दी) को नियुक्ति हेतु पदस्थापन के लिये सुपुर्द करनें के फलस्वरूपं संलग्न सूची में अंकित अभ्यर्थियों को, **वरिष्ठ अध्यापक–हिन्दी** के पद पर राजस्थान सिविल सेवा (पुनरीक्षित वेतनमान) नियम 2017 के वेतन लेवल–11 में दो वर्ष की अवधि हेतु प्रशिक्षणार्थी (प्रोबेशनर ट्रेनी) के रूप में नियत मानदेय 26500/–(छब्बीस हजार पांच सौ रूपये) पर नियुक्ति दी जाकर इनके नाम के सम्मुख अंकित विद्यालय में रिक्त पद पर पदस्थापित किया जाता है। इन्हें परिवीक्षाधीन प्रशिक्षण अवधि में कार्यग्रहण करनें की दिनांक से दो वर्ष की अवधि तक राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांकः एफ.12(9)एफडी(रूल्स)/2017 दिनांक 30.10.2017 के प्रावधानानुसार नियत मानदेय 26500/–(छब्बीस हजार पांच सौ रूपये) अथवा पूर्व से सेवारत होनें की स्थिति में विद्यमान वेतन नियत मानदेय के रूप में देय होगा। परिवीक्षाधीन प्रशिक्षण(प्रोबेशनर ट्रेनी) की अवधि में नियत मानदेय (**FIX REMUNERATION**) के अतिरिक्त अन्य किसी प्रकार के भत्ते यथा महंगाई भत्ता, मकान किराया भत्ता, भाहरी क्षतिपूर्ति भत्ता, महंगाई वेतन, विशेष वेतन, बोनस आदि देय नहीं होगा। राज्य सरकार के आदेश क्रमांक : एफ.12(9)एफडी(रूल्स)/2017 दिनांक 30.10.2017 के अनुसार परिवीक्षाधीन प्रशिक्षण(प्रोबेशनर ट्रेनी) के नियत मानदेय (**FIX REMUNERATION**) से नवीन पेंशन अंशदान की कटौति नियमानुसार होगी।

संबंधित संस्था प्रधान इनको कार्यग्रहण करवानें से पूर्व निम्नांकित कार्यवाही आवश्यक रूप से सम्पादित करेंगें:

1. नियुक्ति पर कार्यग्रहण करवानें से पूर्व नियमानुसार संबंधित अभ्यर्थी का संबंधित जिला पुलिस अधीक्षक द्वारा प्रदत्त चरित्र संबंधी सदाचरण रिपोर्ट एवं सक्षम चिकित्साधिकारी द्वारा प्रदत्त स्वस्थता प्रमाणपत्र प्राप्त किया जाना अनिवार्य होगा, इनके अभाव में किसी भी अभ्यर्थी को नियुक्ति पर कार्यग्रहण नहीं करवाया जावेगा। पूर्व से राजकीय सेवा में सेवारत कार्मिकों हेतु यह आवश्यक नहीं होगा।
2. कार्यग्रहण करवानें से पूर्व राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक : एफ.7(1)डीओपी/ए–II/95 दिनांक 08.04.2003 के अनुसार संबंधित अभ्यर्थी से दिनांक 01.06.2002 को अथवा उसके पश्चात उत्पन्न सन्तानों के फलस्वरूप कुल सन्तानों की संख्या दो से अधिक नहीं होनें संबंधी स्वयं सत्यापित प्रमाणपत्र आवश्यक रूप से प्राप्त किया जावे। साथ ही पदस्थापन आदेश में अभ्यर्थी के नाम के सामनें आवेदनपत्र में लगाये गये फोटो भी दिया गया है जिसका अभ्यर्थी के कार्यग्रहण करनें के समय फोटो से मिलान अनिवार्य रूप से किया जावे।
3. विवाहित अभ्यर्थियों के मामले में विवाह पंजीयन प्रमाण पत्र अथवा यदि विवाह, पंजीयन अनिवार्य करनें सबंधी प्रावधान लागू होनें से पूर्व हुआ है तो तत्संबंधी आशय का स्वयं सत्यापित प्रमाणपत्र आवश्यक रूप से प्राप्त किया जावे।
4. अभ्यर्थी द्वारा दहेज नहीं लिये जानें का स्व–घोषणापत्र निर्धारित प्रारूप में प्राप्त किया जावे।
5. राज्य से बाहर की संस्थाओं से प्राप्त शैक्षिक/प्रशैक्षिक योग्यताओं की वैधता संबंधी जांच की विभाग स्तर पर कार्यवाही की जानी शेष है, अतः जिन अभ्यर्थियों द्वारा राज्य से बाहर की संस्थाओं से शैक्षिक / प्रशैक्षिक योग्यता अर्जित की गई है, उन्हें यह नियुक्ति राज्य से बाहर की संस्थाओं से प्राप्त की गई शैक्षिक/प्रशैक्षिक योग्यता वैध व मान्य पाये जानें के अध्यधीन प्रदान की जा रही है। अतः नियुक्ति पर कार्यग्रहण करवानें से पूर्व संबंधित अभ्यर्थी से 10/– के नॉन–ज्यूडिशियल स्टाम्प पर इस आशय का शपथपत्र पूर्व में प्राप्त करेंगें कि यदि इनके द्वारा राज्य से बाहर,त्रुटीपूर्ण,जालि अथवा कुट रचित दस्तावेज पाये जाने पर उनकी नियुक्ति निरस्त की जा सकेगी एवं इनके विरूद्ध कार्यवाही करनें हेतु विभाग स्वतंत्र रहेगा । आवेदन पत्र के साथ संलग्न दस्तावेजों का मिलान मूल दस्तावेजों से कार्यग्रहण करानें से पूर्व संबंधित संस्था प्रधान अपने स्तर पर आवश्यक रूप से करेंगें। मिलान में यदि कोई भिन्नता पाई जावे तो उसके संबंध में पूर्ण टिप्पणी सहित प्रकरण तुरन्त इस कार्यालय को भिजवायेंगें।
6. अन्य पिछडा वर्ग का सक्षम अधिकारी द्वारा प्रदत्त नवीनतम मान्य प्रमाणपत्र पिता की आय के आधार पर जारी किया हुआ होना चाहिये। महिला आवेदकों के मामले में यदि पति के नाम एवं पति की आय के आधार पर जारी किया हुआ हो तो ही मान्य होगा। संबंधित संस्था प्रधान कार्यग्रहण करानें से पूर्व इसकी पालना सुनिश्चित करें।

2-18

7. चयनित अभ्यर्थियों के कार्यग्रहण करानें से पूर्व उनकी पात्रता, आयु, एवं आरक्षण संबंधी समस्त दस्तावेजों की आवश्यक रूप से जांच करें तथा अभ्यर्थियों से यह शपथपत्र लेवें कि उसके द्वारा प्रस्तुत सूचनाऐं एवं दस्तावेज सही है, इनके त्रुटिपूर्ण, जाली अथवा कूटरचित पाये जानें पर उनकी नियुक्ति निरस्त की जा सकेगी एवं उनके विरूद्ध नियमानुसार विधिक कार्यवाही करनें हेतु विभाग स्वतंत्र रहेगा।
8. कार्यग्रहण करवानें से पूर्व संबंधित अभ्यर्थी से कार्मिक विभाग की अधिसूचना क्रमांक : प. 7(3)कार्मिक/क–2/06/पार्ट दिनांक 04.10.2013 के अनुसार धूम्रपान एवं गुटखा सेवन नहीं करनें संबंधी वचनबद्धता (अण्डरटेकिंग) निर्धारित प्रपत्र में प्राप्त किया जावे।
9. यह नियुक्ति आदेश, प्रसारित विज्ञप्ति वरिष्ठ अध्यापक (विभिन्न विषय) प्रतियोगी परीक्षा–2016 के प्रकरण में माननीय न्यायालय में दायर विभिन्न याचिकाओं के निर्णयों के अध्यधीन रहेंगी।
10. इन अभ्यर्थियों को अपनें पदस्थापित स्थान पर दिनांक **10.11.2018** तक अनिवार्य रूप से कार्यग्रहण करना होगा, अन्यथा यह नियुक्ति आदेश स्वतः निरस्त माने जायेंगें।
11. टीएसपी परिक्षेत्र के अभ्यार्थियो से विशेष मुल निवास प्रमाणपत्र राज्य सरकार द्वारा नवीनतम निर्धारित प्रपत्र में अधिकृत सक्षम अधिकारी द्वारा जारी किया होना चाहिये इसके अभाव मे कार्यग्रहण नही करवाया जाये
12. चयनित अभ्यर्थियो की नियुक्ति आदेश प्रसारित विज्ञप्ति वरिष्ठ अध्यापक (विभिन्न विषय)प्रतियोगी परीक्षा 2016 के प्रकरण में माननीय न्यायालय में दायर विभिन्न याचिकाओ के निर्णयो के अध्यधीन रहेगे ।
13. नोन टीएसपी से टीएसपी क्षेत्र के विद्यालय में पदस्थापन होने की स्थिति में कार्मिक को कार्यग्रहण नही करवाते हुए संस्था प्रधान इस कार्यालय हेतु भिजावे ।
14. संबधित संस्था प्रधान कार्मिक की आईडी एवं फोटो का मिलान करने के पश्चात् ही कार्यग्रहण करावे ।

विधानसभा आम चुनाव आदर्श आचार संहिता मे शिथिलन की स्वीकृति निर्वाचन विभाग राजस्थान के पंत्रांक एफ–3(1)(9) I/Elect/2018/6995 दिनांक 08.10.2018 के गठित स्क्रीनिंग समिति से अनुमति प्रदान किये जाने एंव सामान्य प्रशासन विभाग की आई0डी0 संख्या 3697/पीएस/जीएडी/18 दिनांक 23.10.2018 द्वारा सहमति प्रदान कर दी गई है।

(भरत मेहता)
संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा
उदयपुर संभाग उदयपुर

क्रमांक : सनि/स्कूल शिक्षा/उदय/संस्था–ब/फा–1051–53/2018/134 दिनांक : **31.10.2018**

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेशित है:

1. प्रमुख शासन सचिव, स्कूल एवं संस्कृत शिक्षा, राजस्थान, जयपुर
2. शासन उपसचिव, शिक्षा (ग्रुप–2) विभाग, राजस्थान, जयपुर
3. शासन उपसचिव, कार्मिक (क–2) विभाग, राजस्थान, जयपुर
4. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर
5. विशिष्ट सहायक, माननीय शिक्षा मंत्री महोदय, राजस्थान, जयपुर
6. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा/प्रारम्भिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर
7. मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी .....
8. संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी मुख्यालय माध्यमिक/प्रारम्भिक शिक्षा .....
9. मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी .....
10. वरिष्ठता अनुभाग – कार्यालय हाजा
11. संबंधित संस्था प्रधान.....
12. संबंधित अभ्यर्थी.....(रजिस्टर्ड डाक से)
13. निजी/गार्ड पत्रावली

संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा
उदयपुर संभाग उदयपुर

कार्यालय संयुक्त निदेशक (स्कूल शिक्षा) उदयपुर सम्भाग,उदयपुर

क्रमांक–संयु.नि. / स्कूल शिक्षा / उदय / संस्थापन / फा–1051–53 / 2018 / 134 दिनांक 31.10.2018

विषय– हिन्दी

क्र. स.	मेरिट न0	आशार्थी का नाम	पिता / पति का नाम	पता	जन्म तिथि	वर्ग	चयन वर्ग		पदस्थापन स्थान (राउमावि / मावि / राउप्रावि)	जिला
				नान–टीएसपी						
1	7	SUMITRA DEVI	PURAN	WARD NO 19S AHAWA, SAHAWA, TARANAGAR, CHURU	16-08-90	BC, WE	GENM		धमानिया (भीण्डर)	उदयपुर
2	160	ASHOK SEERVI	NARAYAN RAM	DEVROKACHOWK,DAMAWATOBASSB HAWI, BHAWI, BILARA, BHAWI, JODHPUR	19900715	BC	GENM		उप्रावि कागमदारडा (खमनोर)	राजसमंद
3	278	SENU BALA	SULTAN	WARDNO-22,SHANTINIKETAN SCHOOL,BADOPALROAD,SURATGARH, , SURATGARH, SURATGARH, SRI GANGANAGAR	04/01/1984	BC, WE	GENF		मोरठ (मावली)	उदयपुर
4	509	KRISHAN KUMAR	MAHESH KUMAR SHARMA	WARDNO-10,DHANIHUKMA,POST-SINGHANA,TEHSIL-BUHANA, SINGHANA, BUHANA, DHANI HUKMA, JHUNJHUNU	06/10/1991	BC	GENM		सांसेरा (रेलमगरा)	राजसमंद
5	815	LALITA JANGIR	GOVIND RAM JANGIR	NEAR HANUMAN TEMPLE, NAYA BASS, WARD NO 06 SARDARSHAHAR, CHURU	28/08/1983	BC, WE	OBCF		कोयल (कुम्भलगढ)	राजसमंद
6	816	ACHAKY SAINI	RAM NIWAS SAINI	BUDANIA, CHIRAWA, BUDANIA, JHUNJHUNU	10/10/1988	BC, WE	OBCF		आकोला (भीण्डर)	उदयपुर
7	819	ROHINI SOLNKIYA	JEEVAN NATH SOLNKIYA	PLOTNO.11,SHIVGORKSHSADAN,NEAR PALSHILPGRAM,PALROAD,JODHPUR,R AJASTHAN, , JODHPUR, JODHPUR,	15/09/1988	BC, WE	OBCF		सोगदी की भागल (खमनोर)	राजसमंद
8	865	RAMPAL GURJAR	CHHOTU LAL GURJAR	VIL-CHALET, PANWAR, KHANPUR, CHALET, JHALAWAR	12/01/1979	SB	SBCM		उप्रावि कीरोका खेडा (भदेसर)	चितौड
9	1281	KAMANTA MEENA	RAM KHILADI MEENA	W/ORAJNEESHMEENAVPOSUROTHTEH HINDAUNDISTKARAULI, , HINDAUN, SUROTH, KARAULI	07/05/1989	ST, WE	STF		उप्रावि वाणियाहथरी (देवगढ)	राजसमंद
10	1393	JAIPAL SINGH	PRAHALAD SINGH	VILL.POST-JAKHAL,COLONY-SUNDERPURA,DIST.-JHUNJHUNU, RAJASTHANPIN333305, JAKHAL, NAWALGARH, JAKHAL, JHUNJHUNU	15/12/1985	GE, EX	GENM	EX	उप्रावि बनाथपुरा (भदेसर)	चितौड
11	1400	KHUSHBU SHARMA	SATISH SHARMA	SIMRAN CITY, SRI GANGANAGAR,	07/10/1992	GE, WE, WD	GENF	WD	कणुजा (कुंम्भलगढ)	राजसमंद
12	1558	SHYAM SINGH	SHATROHAN LAL	VILL-BHADNEWAPOST-FATEHPUR, FATEHPUR, BARABANKI	07/05/1974	GE, BL	GENM	BL	बनोकडा (कुंम्भलगढ)	राजसमंद
13	1561	VANDANA SONI	MANOHAR LAL	MOHANGARHSAHCHIHARSAMAJKIHA VELI NATHDWARA, RAJSAMAND	19870722	BC, WE, WD	GENF	WD	सुवानिया (गंगरार)	चितौड
14	1575	SURESH KUMAR	RATAN SINGH	VPOGANGIASARTEHFATEHPUR, , FATEHPUR, GANGIASAR, SIKAR	06/05/1977	BC, EX	OBCM	EX	उप्रावि मथुनिया (भोपालसागर)	चितौड
15	1655	KAUSHALYA KUMARI	KHETA RAM	KAUSHALYAC/OSH.MANOJDUDI DHANI-DUDIYA, SEFRAGUWAR, KHETRI, KHETRI, JHUNJHUNU	07/05/1983	BC, WE, WD	OBCF	WD	उप्रावि दुवावा (चित्तौडगढ)	चितौड
16	1670	BULKESH	CHHAJU RAM	JHAJHARIAKIDHANIMAKHARPOSTISLA MPUR, ISLAMPUR, JHUNJHUNU,	08/02/1986	BC, WE, WD	OBCF	WD	कचहरी कपासन (कपासन)	चितौड
17	1764	POONA RAM KHOJA	ANADA RAM KHOJA	HOUSE NO 2 GALI NO 4 LAXMI VIHAR COLONY SAGAR ROAD BIKANER,	14/02/1978	BC, EX	OBCM	EX	उप्रावि मेनपुरिया (भीण्डर)	उदयपुर

(भरत मेहता)
संयुक्त निदेशक(स्कूल शिक्षा)
उदयपुर सम्भाग उदयपुर

कार्यालय संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा, उदयपुर संभाग उदयपुर

कार्यालय आदेश **(नान–टीएसपी)**

निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर के पत्रांक : शिविरा–मा/संस्था/एफ–1/12102/सी.भ./व.अ.–सामाजिक विज्ञान/2018/ दिनांक 30.10.2018 के द्वारा राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर से द्वितीय वेतन श्रंखला अध्यापक भर्ती परीक्षा–2016 से चयनित आशार्थियों(सामाजिक विज्ञान) को नियुक्ति हेतु पदस्थापन के लिये सुपुर्द करनें के फलस्वरूपं संलग्न सूची में अंकित अभ्यर्थियों को, **वरिष्ठ अध्यापक–सामाजिक विज्ञान** के पद पर राजस्थान सिविल सेवा (पुनरीक्षित वेतनमान) नियम 2017 के वेतन लेवल–11 में दो वर्ष की अवधि हेतु प्रशिक्षणार्थी (प्रोबेशनर ट्रेनी) के रूप में नियत मानदेय 26500/–(छब्बीस हजार पांच सौ रूपये) पर नियुक्ति दी जाकर इनके नाम के सम्मुख अंकित विद्यालय में रिक्त पद पर पदस्थापित किया जाता है। इन्हें परिवीक्षाधीन प्रशिक्षण अवधि में कार्यग्रहण करनें की दिनांक से दो वर्ष की अवधि तक राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांकः एफ.12(9)एफडी(रूल्स)/2017 दिनांक 30.10.2017 के प्रावधानानुसार नियत मानदेय 26500/–(छब्बीस हजार पांच सौ रूपये) अथवा पूर्व से सेवारत होनें की स्थिति में विद्यमान वेतन नियत मानदेय के रूप में देय होगा। परिवीक्षाधीन प्रशिक्षण(प्रोबेशनर ट्रेनी) की अवधि में नियत मानदेय (**FIX REMUNERATION**) के अतिरिक्त अन्य किसी प्रकार के भत्ते यथा महंगाई भत्ता, मकान किराया भत्ता, भाहरी क्षतिपूर्ति भत्ता, महंगाई वेतन, विशेष वेतन, बोनस आदि देय नहीं होगा। राज्य सरकार के आदेश क्रमांक : एफ.12(9)एफडी(रूल्स)/2017 दिनांक 30.10.2017 के अनुसार परिवीक्षाधीन प्रशिक्षण(प्रोबेशनर ट्रेनी) के नियत मानदेय (**FIX REMUNERATION**) से नवीन पेंशन अंशदान की कटौति नियमानुसार होगी।

संबंधित संस्था प्रधान इनको कार्यग्रहण करवानें से पूर्व निम्नांकित कार्यवाही आवश्यक रूप से सम्पादित करेंगें:

1. नियुक्ति पर कार्यग्रहण करवानें से पूर्व नियमानुसार संबंधित अभ्यर्थी का संबंधित जिला पुलिस अधीक्षक द्वारा प्रदत्त चरित्र संबंधी सदाचरण रिपोर्ट एवं सक्षम चिकित्साधिकारी द्वारा प्रदत्त स्वस्थता प्रमाणपत्र प्राप्त किया जाना अनिवार्य होगा, इनके अभाव में किसी भी अभ्यर्थी को नियुक्ति पर कार्यग्रहण नहीं करवाया जावेगा। पूर्व से राजकीय सेवा में सेवारत कार्मिकों हेतु यह आवश्यक नहीं होगा।
2. कार्यग्रहण करवानें से पूर्व राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक : एफ.7(1)डीओपी/ए–II/95 दिनांक 08.04.2003 के अनुसार संबंधित अभ्यर्थी से दिनांक 01.06.2002 को अथवा उसके पश्चात उत्पन्न सन्तानों के फलस्वरूप कुल सन्तानों की संख्या दो से अधिक नहीं होनें संबंधी स्वयं सत्यापित प्रमाणपत्र आवश्यक रूप से प्राप्त किया जावे। साथ ही पदस्थापन आदेश में अभ्यर्थी के नाम के सामनें आवेदनपत्र में लगाये गये फोटो भी दिया गया है जिसका अभ्यर्थी के कार्यग्रहण करनें के समय फोटो से मिलान अनिवार्य रूप से किया जावे।
3. विवाहित अभ्यर्थियों के मामले में विवाह पंजीयन प्रमाण पत्र अथवा यदि विवाह, पंजीयन अनिवार्य करनें सबंधी प्रावधान लागू होनें से पूर्व हुआ है तो तत्संबंधी आशय का स्वयं सत्यापित प्रमाणपत्र आवश्यक रूप से प्राप्त किया जावे।
4. अभ्यर्थी द्वारा दहेज नहीं लिये जानें का स्व–घोषणापत्र निर्धारित प्रारूप में प्राप्त किया जावे।
5. राज्य से बाहर की संस्थाओं से प्राप्त शैक्षिक/प्रशैक्षिक योग्यताओं की वैधता संबंधी जांच की विभाग स्तर पर कार्यवाही की जानी शेष है, अतः जिन अभ्यर्थियों द्वारा राज्य से बाहर की संस्थाओं से शैक्षिक / प्रशैक्षिक योग्यता अर्जित की गई है, उन्हें यह नियुक्ति राज्य से बाहर की संस्थाओं से प्राप्त की गई शैक्षिक/प्रशैक्षिक योग्यता वैध व मान्य पाये जानें के अध्यधीन प्रदान की जा रही है। अतः नियुक्ति पर कार्यग्रहण करवानें से पूर्व संबंधित अभ्यर्थी से 10/– के नॉन–ज्यूडिशियल स्टाम्प पर इस आशय का शपथपत्र पूर्व में प्राप्त करेंगें कि यदि इनके द्वारा राज्य से बाहर,त्रुटीपूर्ण,जालि अथवा कुट रचित दस्तावेज पाये जाने पर उनकी नियुक्ति निरस्त की जा सकेगी एवं इनके विरूद्ध कार्यवाही करनें हेतु विभाग स्वतंत्र रहेगा । आवेदन पत्र के साथ संलग्न दस्तावेजों का मिलान मूल दस्तावेजों से कार्यग्रहण करानें से पूर्व संबंधित संस्था प्रधान अपने स्तर पर आवश्यक रूप से करेंगें। मिलान में यदि कोई भिन्नता पाई जावे तो उसके संबंध में पूर्ण टिप्पणी सहित प्रकरण तुरन्त इस कार्यालय को भिजवायेंगें।
6. अन्य पिछडा वर्ग का सक्षम अधिकारी द्वारा प्रदत्त नवीनतम मान्य प्रमाणपत्र पिता की आय के आधार पर जारी किया हुआ होना चाहिये। महिला आवेदकों के मामले में यदि पति के नाम एवं पति की आय के

आधार पर जारी किया हुआ हो तो ही मान्य होगा। संबंधित संस्था प्रधान कार्यग्रहण करानें से पूर्व इसकी पालना सुनिश्चित करें।

7. चयनित अभ्यर्थियों के कार्यग्रहण करानें से पूर्व उनकी पात्रता, आयु, एवं आरक्षण संबंधी समस्त दस्तावेजों की आवश्यक रूप से जांच करें तथा अभ्यर्थियों से यह शपथपत्र लेवें कि उसके द्वारा प्रस्तुत सूचनाऐं एवं दस्तावेज सही है, इनके त्रुटिपूर्ण, जाली अथवा कूटरचित पाये जानें पर उनकी नियुक्ति निरस्त की जा सकेगी एवं उनके विरूद्ध नियमानुसार विधिक कार्यवाही करनें हेतु विभाग स्वतंत्र रहेगा।
8. कार्यग्रहण करवानें से पूर्व संबंधित अभ्यर्थी से कार्मिक विभाग की अधिसूचना क्रमांक : प. 7(3)कार्मिक/क–2/06/पार्ट दिनांक 04.10.2013 के अनुसार धूम्रपान एवं गुटखा सेवन नहीं करनें संबंधी वचनबद्धता (अण्डरटेकिंग) निर्धारित प्रपत्र में प्राप्त किया जावे।
9. यह नियुक्ति आदेश, प्रसारित विज्ञप्ति वरिष्ठ अध्यापक (विभिन्न विषय) प्रतियोगी परीक्षा–2016 के प्रकरण में माननीय न्यायालय में दायर विभिन्न याचिकाओं के निर्णयों के अध्यधीन रहेंगी।
10. इन अभ्यर्थियों को अपनें पदस्थापित स्थान पर दिनांक **10.11.2018** तक अनिवार्य रूप से कार्यग्रहण करना होगा, अन्यथा यह नियुक्ति आदेश स्वतः निरस्त माने जायेंगें।
11. टीएसपी परिक्षेत्र के अभ्यार्थियो से विशेष मुल निवास प्रमाणपत्र राज्य सरकार द्वारा नवीनतम निर्धारित प्रपत्र में अधिकृत सक्षम अधिकारी द्वारा जारी किया होना चाहिये इसके अभाव मे कार्यग्रहण नही करवाया जाये
12. चयनित अभ्यर्थियो की नियुक्ति आदेश प्रसारित विज्ञप्ति वरिष्ठ अध्यापक (विभिन्न विषय)प्रतियोगी परीक्षा 2016 के प्रकरण में माननीय न्यायालय में दायर विभिन्न याचिकाओ के निर्णयो के अध्यधीन रहेगे ।
13. नोन टीएसपी से टीएसपी क्षेत्र के विद्यालय में पदस्थापन होने की स्थिति में कार्मिक को कार्यग्रहण नही करवाते हुए संस्था प्रधान इस कार्यालय हेतु भिजावे ।
14. संबधित संस्था प्रधान कार्मिक की आईडी एवं फोटो का मिलान करने के पश्चात् ही कार्यग्रहण करावे ।

विधानसभा आम चुनाव आदर्श आचार संहिता मे शिथिलन की स्वीकृति निर्वाचन विभाग राजस्थान के पंत्राक एफ–3(1)(9) I/Elect/2018/6995 दिनांक 08.10.2018 के गठित स्क्रीनिंग समिति से अनुमति प्रदान किये जाने एंव सामान्य प्रशासन विभाग की आई0डी0 संख्या 3697/पीएस/जीएडी/18 दिनांक 23.10.2018 द्वारा सहमति प्रदान कर दी गई है।

(भरत मेहता)
संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा
उदयपुर संभाग उदयपुर

क्रमांक : सनि/स्कूल शिक्षा/उदय/संस्था–ब/फा–1051–53/2018/135 दिनांक : **31.10.2018**

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेशित हैः

1. प्रमुख शासन सचिव, स्कूल एवं संस्कृत शिक्षा, राजस्थान, जयपुर
2. शासन उपसचिव, शिक्षा (ग्रुप–2) विभाग, राजस्थान, जयपुर
3. शासन उपसचिव, कार्मिक (क–2) विभाग, राजस्थान, जयपुर
4. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर
5. विशिष्ट सहायक, माननीय शिक्षा मंत्री महोदय, राजस्थान, जयपुर
6. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा/प्रारम्भिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर
7. मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी .....
8. संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी मुख्यालय माध्यमिक/प्रारम्भिक शिक्षा .....
9. मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी .....
10. वरिष्ठता अनुभाग – कार्यालय हाजा
11. संबंधित संस्था प्रधान.....
12. संबंधित अभ्यर्थी.....(रजिस्टर्ड डाक से)
13. निजी/गार्ड पत्रावली

संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा
उदयपुर संभाग उदयपुर

कार्यालय संयुक्त निदेशक (स्कूल शिक्षा) उदयपुर सम्भाग,उदयपुर

क्रमांक–संयु.नि. / स्कूल शिक्षा / उदय / संस्थापन / फा–1051–53 / 2018 / 135 दिनांक **31.10.2018**

विषय– सामाजिक विज्ञान

क्र. स.	मेरिट न0	आशार्थी का नाम	पिता / पति का नाम	पता	जन्म तिथि	वर्ग	चयन वर्ग		पदस्थापन स्थान (राउमावि / मावि / राउप्रावि)	जिला
				नान– टीएसपी						
1	172	VIJAY SINGH	GANGA SINGH	22/IIINEWIGNPCOLONYJAISALMER, , , , JAISALMER	01/12/1982	BC	GENM		उप्रावि सराय (भीण्डर)	उदयपुर
2	410	NIRMAL KUMAR	SHIV LAL	WARDNO2 SHASTRICOLONY , RAISINGHNAGAR,	16/07/1975	BC, RG, NG	OBCM		उप्रावि आलूखेडा (भीण्डर)	उदयपुर
3	659	JAGDISH BENIWAL	BABU LAL	V&P-PEETHAWASVAYA-BANAR, PEETHAWAS, , , JODHPUR	01/06/1986	GE	GENM		गुडला (खमनोर)	राजसमंद
4	669	CHAMPA LAL PALIWAL	LEELA DHAR PALIWAL	CHAMPALALs%LEELADHARPALIWAL,VILLAGE-HOPARDI,TEHSIL-PHALODI,DIST.-JODHPUR(RAJ), HOPARDI, PHALODI, JODHPUR	02/02/1988	GE	GENM		बा. दिवेर (भीम)	राजसमंद
5	718	ASHEESH KUMAR	CHANDRA SHEKHAR	1247BARKATNAGAR,TONKPHATAKJAIPUR , , , , JAIPUR	21/07/1988	BC	GENM		वाना (भीण्डर)	उदयपुर
6	723	BAJARANG RAM	RAMA RAM	V/P-DEVANOYONKATALA,KAPRAU, KAPRAU, CHOHTAN, KAPRAU, BARMER	29/06/1993	BC	GENM		उप्रावि बाणिया टूकडा (कुम्भलगढ)	राजसमंद
7	769	LALIT JANGID	KAILASH CHAND JANGID	KHATIYOKAMOHALLABAGHAWAS, BAGHAWAS, KISHANGARH RENWAL, KISHANGARH RENWAL, JAIPUR	12/10/1992	BC	OBCM		बाउप्रावि गोसुण्डा (चित्तौडगढ)	चित्तौड
8	782	JITENDRA SINGH	BHOORI SINGH	NEARAARADHANASCHOOL,SANJAYNAGAR, , , , BHARATPUR	10/10/1987	BC	OBCM		बाउप्रावि आवलखेडा (चित्तौड)	चित्तौड
9	923	PRIYANKA KHANDELWAL	SANKER LAL KHANDELWAL	SARPANCHMOHALLA, BANSKHO, BASSI, BANSKHO, JAIPUR	17/10/1993	GE, WE	GENF		बा. बेगु (बेगु)	चित्तौड
10	1070	MAMTA	MALI RAM YADAV	WARDNO-3,SHAHPURAROAD, YADAVCOLONY, NEEM KA THANA, NEEM-KA-THANA, NEEM KA THANA, SIKAR	01/01/1989	BC, WE	OBCF		गन्थेडी (भदेसर)	चित्तौड
11	1367	RAMKUNWAR BAIRWA	PRAHLAD BAIRWA	VILLPOSTGANETI, , TODARAISINGH, , TONK	15/08/1988	SC	SCM		उप्रावि खेडाजस्सा (भीम)	राजसमंद
12	1368	MONU	DEVI SAHAI	PLOTNO.19NEARPALIWALBUILDERSRAMNGARCOLONY60FEETROAD, , , , ALWAR	07/05/1990	SC	SCM		उप्रावि करई (खमनोर)	राजसमंद
13	1383	VINOD KUMAR CHOHALLA	KISHAN LAL	117/4, GOUSHALASAHU NAGAR CEMENT FACTORY SAWAI MADHOPUR RAJASTHAN PIN CODE-322001, SAHUNAGAR, SAWAI MADHOPUR	05/06/1985	SC, ME	SCM		उप्रावि रामाखेडा (भूपालसागर)	चित्तौड
14	1387	KAMLESH MAHAWAR	DULI CHAND MAHAWAR	F-140 LAL KOTHI NEAR SANJAY PUBLIC SCHOOL, GANDHI NAGAR, , , JAIPUR	22/11/1982	SC	SCM		उप्रावि चितारदई (देवगढ)	राजसमंद
15	1513	MAHENDRA KUMAR MEENA	RAMPAL MEENA	VPO-PACHELKALAN, PACHEL KALAN, ANATH, PACHEL KALAN, BARAN	13/06/1992	ST	STM		बाउप्रावि भीचौर (बेगू)	चित्तौड
16	1588	KAUSHAL AGARWAL	RAMESH CHAND AGARWAL	34A,R.S.E.B.COLONY,AMRAPALICIRCLE,, VAISHALI NAGAR, , , JAIPUR	15/01/1976	GE, WE, WD	GENF		उप्रावि केरावतों की भागल(कुम्भलगढ)	राजसमंद
17	1780	JAI SINGH	SHISHPAL	62,DHIKNADABAS,HARIPURA, BANRA, TARANAGAR, HARIPURA, CHURU	13/05/1975	BC, EX	OBCM		उप्रावि रानी डूगला (भीण्डर)	उदयपुर
18	1849	SURESH CHAND	CHHIDDI SINGH	VILLAGEMAVAIPOSTMOROLITEHDEEG, MOROLI, DEEG, MAVAI, BHARATPUR	04/09/1967	GE, EX	GENM		उप्रावि बेजरडा (भीण्डर)	उदयपुर
19	1898	DHARMENDRA KUMAR SHARMA	DAMODAR LAL SHARMA	JHANDUKAPURA, HINDUAN CITY, HINDAUN, HINDAUN, KARAULI	08/05/1983	GE, EX	GENM		उप्रावि पाछून्दा (बेगू)	चितौड
20	1955	NIHAL CHAND BISHNOI	SHANTI LAL BISHNOI	VPOPANCHAYATIYABASSRASISAR, RASISAR, NOKHA, RASISAR, BIKANER	10/01/1984	BC, BL	OBCM		बा देवगढ (राजसमंद)	राजसमंद

(भरत मेहता)
संयुक्त निदेशक(स्कूल शिक्षा)
उदयपुर सम्भाग उदयपुर